

**श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के
लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.1.2010 से 31.12.2014**

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)ग(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा(ए)3-3/85-पार्ट-II, दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत, श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी, तहसील जुब्बल जिला शिमला के अवधि 1.1.2010 से 31.12.2014 के लेखों का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी में निम्नलिखित अधिकारी अध्यक्ष व सचिव के पद पर तैनात थे।

क्रमांक	अध्यक्ष का नाम	अवधि
1	श्री वी०आर० कमल, एस०डी०एम० रोहडू	1.1.2010 से 30.4.2010
2	श्री एम०आर० धीन, एस०डी०एम० रोहडू	4.6.2010 से 11.2.2013
3	श्री वाई०पी०एस०वर्मा, एस०डी०एम० रोहडू	28.2.2013 से लगातार
क्रमांक	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री सिद्धार्थ आचार्य, तहसीलदार जुब्बल	1.1.2010 से 18.1.2010
2	श्री जयलाल चौहान, नायब तहसीलदार जुब्बल	19.1.2010 से 5.6.2010
3	श्री ए०एन० ठाकुर, तहसीलदार जुब्बल	7.6.2010 से 12.9.2012
4	श्री देवी सिंह कोशल, तहसीलदार जुब्बल	14.9.2012 से 31.12.2014

(ग) अंकेक्षण दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1.	बैंक द्वारा 89 दिन तक नहीं दिए गए ब्याज बारे	6(ख)	1.60
2.	उच्च ब्याज दरों पर राशि न करने के कारण हुई हानि	6(ग)	6.41
3.	ब्याज राशि की गलत गणना के कारण न्यास को कम प्राप्त ब्याज	6(घ)	4.39
4.	अर्जित ब्याज पर काटे गए आयकर को वापिस न प्राप्त करने बारे	6(ङ)	4.72
5.	न्यास के सदस्यों, कर्मचारियों तथा अन्य को दी गई अग्रिम राशि समायोजन हेतु शेष	14	4.07
6.	दुकानों के किराए की राशि वसूली हेतु शेष	15	0.89

7.	सराय भवन के किराये की कम वसूली	17(क)	6.94
8.	विद्युत विभाग द्वारा गलत वसूल की गई राशि को वापिस प्राप्त न करना	22	2.00
9.	प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर दैनिकी का भुगतान करने के कारण मन्दिर न्यास को वित्तीय हानि	26	1.04
10.	कौडल औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण कार्यों का करवाया जाना	28	177.11
11.	दर संविदा/निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही निर्माण सामग्री की खरीद करना	29	90.00
12.	मन्दिर न्यास की सराय के बिस्तरे तथा वर्तन इत्यादि की खरीद तथा सराय की मुरम्मत हेतु भुगतान की अग्रधन राशि के समायोजन से सम्बन्धित अनियमितताएँ	38	10.00

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में निपटारो हेतु बकाया पैरों पर की गई कार्रवाई के सत्यापनोपरान्त शेष बकाया पैरों की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-“क”** पर संलग्न है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी के अवधि 1.1.2010 से 31.12.2014 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अशोक कुमार सूद, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 21.11.2015 से दिनांक 2.3.2016 के दौरान हाटकोटी में किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में सम्मिलित किया गया है। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आय :— माह 3/2010, 10/2011, 11/2012, 10/2013 तथा 10/2014

व्यय :— माह 4/2010, 4/2011, 4/2012, 9/2013 तथा 10/2014

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन न्यास के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क

श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी के अवधि 1.1.2010 से 31.12.2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल ₹65,000/— आंका गया। इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश शिमला (9) के नाम रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या एल0ए0डी. (ऑडिट) 2015-16-227, दिनांक 1.3.2016 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत न्यास की अवधि 1.1.2010 से 31.12.2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में आय	वर्ष में ब्याज	कुल आय	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
2010	1,41,91,258.29	63,60,294	10,70,396	2,16,21,948.29	26,53,431	1,89,68,517.29
2011	1,89,68,517.29	84,02,426	10,28,295	2,83,99,238.29	68,24,808	2,15,74,430.29
2012	2,15,74,430.29	90,76,093	7,65,262	3,14,15,785.29	1,25,96,075	1,88,19,710.29
2013	1,88,19,710.29	89,43,778	17,09,552	2,94,73,040.29	80,76,722	2,13,96,318.29
2014	2,13,96,318.29	85,90,152	16,86,699	3,16,73,169.29	66,37,288	2,50,35,881.29

दिनांक 31.12.2014 को अन्तिम शेष का विवरण

क्रमांक	बैंकों के नाम	राशि
1	एस0बी0आई0 सावड़ा के बचत खाता संख्या: 11538670326 में जमा	37,10,479.29
2	यूको बैंक अन्टी के बचत खाता संख्या: 13810100001887 में जमा	1,91,357.88
3	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक बचत खाता संख्या: 43210128090 में जमा	61,222.00
4	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सरस्वती नगर के बचत खाता संख्या 44810101302 में जमा	2,33,131.00
5	पंजाब नैशनल बैंक बचत खाता संख्या 9829000100002207 में जमा	3,72,458.00
6	एस0बी0आई0 सावड़ा में सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	1,93,10,434.00
7	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सरस्वती नगर में सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	19,95,286.00
कुल जमा राशि		2,58,74,368.17

(ख) बैंक समाधान विवरणीका

दिनांक 31.12.2014 को विभिन्न बैंकों में जमा राशि	2,58,74,368.17
दिनांक 31.12.2014 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष राशि	2,50,35,881.29
अन्तर	8,38,486.88

अन्तर का कारण

(i) विभिन्न बैंकों द्वारा दिया गया ब्याज, जिसका इन्द्राज दिनांक 31.12.2014 तक रोकड़ में नहीं लिया गया। (+) 83,502.00

क्रम सं०	बैंक का नाम	दिनांक	राशि
(1)	पी०एन०बी० सावड़ा	9.9.14	928.00
(2)	एस०बी०आई० सावड़ा	25.12.14	73,459.00
(3)	हि०प्र० रा०सह० कोष बैंक रोहडू	30.9.14	1,204.00
(4)	हि०प्र० रा० सह० कोष बैंक सावड़ा	30.9.14	4,937.00
(5)	यूको बैंक सावड़ा	9.7.14	2,974.00
			83,502.00

(ii) एस०बी०आई० सावड़ा की सावधी जमा रसीद संख्या 3134170285 के अन्तर्गत दिनांक 17.12.2013 को ₹93,04,125 के साथ 9% ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेश की गई थी, जिस पर बैंक द्वारा कुल देय ब्याज की ₹8,66,059 पर ₹87,608 की आयकर कटौती के उपरान्त ₹7,78,451 का ब्याज दिया गया, जिसका दिनांक 31.12.2014 तक रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया था अपितु दिनांक 12.3.2015 को रोकड़ में इन्द्राज कर लिया गया। (+) 7,78,451.00

(iii) हिमाचल प्रदेश रा० सहकारी कोष बैंक सावड़ा द्वारा आयकर के रूप में की गई कटौती, जिसका दिनांक 31.12.2014 तक रोकड़ में इन्द्राज नहीं लिया गया। (-) 23,466.00

दिनांक 17.7.2014 18,977

दिनांक 7.10.2014 4,489

23,466

(iv) यूको बैंक द्वारा दिनांक 13.8.2014 को काटा गया एस०एम०एस० शुल्क (-) 0.12

योग 8,38,486.88

5 रोकड़ बही के रख-रखाव बारे

(क) सावधि जमा योजनाओं में निवेशित राशियों को रोकड़ में न दर्शाया जाना

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि न्यास द्वारा सावधि जमा योजनाओं में निवेश की गई राशियों को रोकड़ बही के शेष में नहीं दर्शाया जाता है अपितु केवल मात्र बचत खातों में जमा राशियों को ही रोकड़ के प्रारम्भिक शेष तथा अन्तशेष के रूप में दर्शाया गया है। उद्धाहरण के रूप में दिनांक 31.12.2014 को न्यास के पास कुल ₹2,50,35,881.29 शेष थे, जिसमें

₹2,05,27,269 सावधि जमा योजनाओं में निवेशित थी तथा शेष ₹45,08,612.29 विभिन्न बचत खातों में जमा थी, परन्तु रोकड़ में केवल बचत खातों में जमा ₹45,08,612.29 को ही दर्शाया गया है, जो नियमों के विरुद्ध हैं। इस प्रक्रिया से न्यास के पास जमा कुल राशि रोकड़ में परिलक्षित नहीं होता है तथा कभी भी किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। इस विषय को न्यास के ध्यान में लाते हुए माह जनवरी 2016 से रोकड़ के शेष को सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों के साथ लेखाबद्ध करके दर्शाया जाना शुरू कर दिया गया, परिणाम स्वरूप अब न्यास के पास जमा कुल राशि रोकड़ में परिलक्षित होने लगी है। अतः भविष्य में भी रोकड़ बही में समस्त राशियों का लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) प्रत्येक माह के अन्त में मासिक विवरण का न दिया जाना

नियमानुसार प्रत्येक माह के अन्त में मासिक विवरण अर्थात् माह के आरम्भिक शेष, माह में प्राप्त कुल आय, माह के दौरान किया गया कुल व्यय तथा माह के अन्तशेष का बैंकों में जमा राशियां, हस्तगत राशियों का पूर्ण विवरण दिया जाना अपेक्षित है तथा इस सन्दर्भ में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाना अपेक्षित है, परन्तु न्यास द्वारा रोकड़ में इससे सम्बन्धित कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जोकि नियमों की अवहेलना है। अंकेक्षण के परामर्शानुसार माह 1/2016 से रोकड़ बही में मासिक विवरण दिया जाना आरम्भ कर दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में भी रोकड़ बही में नियमानुसार लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 सावधि जमा निवेश

(क) श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी द्वारा दिनांक 31.12.2014 तक निम्नलिखित राशियां सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेश की हुई थी। अतः निवेश की गई राशियों को परिपक्वता तिथि को आहरित करना अथवा पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

बैंक का नाम		एफ.डी.आर संख्या	निवेशित राशि	निवेश करने की तिथि	ब्याज दर	परिपक्वता राशि	परिपक्वता तिथि
एस0बी0आई0 साबड़ा	(i)	313410702853	93,04,125	17.12.13	9%	1,01,70,184	16.12.14
	(ii)	31074697888	61,39,695	27.2.14	9%	67,11,198	27.2.15
	(iii)	30336632185	30,88,163	27.2.14	9%	33,75,619	27.2.15
हि0 प्र0 स्टेट को0— ऑपरेटिव बैंक लि0 साबड़ा		1825193	19,95,286	7.3.14	9%	21,74,247	7.3.15

(ख) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सावधी जमा योजना में निवेशित ₹1,00,82,576 पर दिनांक 16.12.2014 से 12.3.2015 तक का ₹1,60,354 का ब्याज का न दिया जाना

अभिलेख की जांच में न्यास द्वारा समय-समय पर सावधी जमा योजना में निवेशित राशियों से सम्बन्धित विवरणिका के अवलोकन पर पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा साबड़ा द्वारा सावधी जमा योजना में दिनांक 17.12.2013 में निवेशित ₹93,04,125 जोकि एक वर्ष के पश्चात दिनांक 17.12.2014 को ₹1,01,70,184 के साथ परिपक्व हुई थी तथा जिस पर बैंक द्वारा ₹87,608 की आय पर की कटौती की गई परन्तु शेष ₹1,00,82,576 को न तो पुनः निवेशित किया गया और न ही दिनांक 12.3.2015 तक कुल 89 दिनों का ब्याज दिया गया। इस विषय को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 188, दिनांक 30.12.2015 द्वारा अध्यक्ष, मन्दिर न्यास के ध्यान में लाया गया, तदोपरान्त यह मामला न्यास द्वारा बैंक प्रबन्धन के साथ उठाया गया जिस पर कार्रवाई करते हुए बैंक द्वारा हुई अपनी गलती को मानते हुए अपने पत्र दिनांक 5.3.2016 द्वारा न्यास को सूचित किया कि उक्त अवधि के ब्याज की ₹1,60,354 को दिनांक 5.3.2016 को न्यास बचत खाता संख्या 11538670326 में जमा कर दिया गया है। इस प्रकार की गलती के घटने का मूल कारण न्यास द्वारा किए गए निवेशों के सम्बन्धित कोई निवेश रजिस्टर नहीं लगाया जाना है, जिससे पता चल सके कि किस दिन कितनी राशि किस ब्याज दर पर निवेश की गई तथा अमूक राशि किस दिन परिपक्व होगी तथा सम्बन्धित परिपक्वता की तिथि पर कितनी राशि का ब्याज प्रदान किया गया एवं कितना आयकर काटा गया। इस प्रकार आवश्यक अभिलेख तैयार न करना न्यास की एक गम्भीर लापरवाही को परिलक्षित करता है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। यदि अंकेक्षण द्वारा इस आपत्ती को ध्यान में न लाया जाता तो न्यास को उक्त ब्याज की राशि का नुकसान उठाना पड़ता। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकार की गलती की पुनर्वृत्ति को रोकने हेतु सावधी जमा में निवेशित समस्त राशियों की संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच की जाए तथा अविलम्ब निवेश रजिस्टर तैयार किया जाए तथा समस्त निवेशित राशियों को परिपक्वता की तिथि को पुनः निवेश करवाना अथवा आहरित करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) उच्च ब्याज दरों पर सावधी जमा योजना में निवेश न करने के कारण न्यास द्वारा ₹6,40,676 का कम ब्याज करने बारे

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि न्यास द्वारा दिनांक 18.8.2010 को भारतीय स्टेट बैंक साबड़ा शाखा में 6% ब्याज की दर पर ₹75 लाख निवेशित की गई। उसी दिन न्यास द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा साबड़ा में ₹15 लाख ₹6.25% की दर से निवेशित की गई। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा 0.25% की दर से अधिक ब्याज दिया गया। जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 1½ करोड़ रुपये भारतीय स्टेट बैंक की सावधी जमा योजना में निवेश रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी

बैंक में केवल मात्र ₹15 लाख ही निवेशित की गई है जबकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी निवेशित राशियों पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की अपेक्षा कम ब्याज दिया जाता रहा है, परिणाम स्वरूप न्यास को अंकेक्षण अवधि 1.1.2010 से 31.12.2014 के दौरान निवेशित राशियों पर लगभग ₹6,40,676 का कम ब्याज अर्जित हुआ है, जिसका विवरण **परिशिष्ट-“ख”** पर दिया गया है। उक्त कम ब्याज दर पर निवेश करने के कारणों को स्पष्ट करने हेतु अध्यक्ष, मन्दिर न्यास से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 221, दिनांक 20.2.2015 द्वारा अनुरोध किया गया था, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः यह मामला आयुक्त, मन्दिर न्यास के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस प्रकरण में उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके तथा की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में निवेश से पूर्व विभिन्न बैंकों से ब्याज की दरें प्राप्त करके उच्चतम ब्याज की दरों पर ही निवेश किया जाए।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक शाखा सावड़ा तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा सावड़ा द्वारा देय ब्याज की अपेक्षा ₹4,39,529 का कम ब्याज दिए जाने के बारे में

अभिलेख की जांच में पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक सावड़ा तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सावड़ा द्वारा निवेशित राशियों पर देय ब्याज की अपेक्षा कम राशि का ब्याज दिया गया है, जिसके कारण न्यास को **परिशिष्ट-“ग”** के कुल अनुसार कुल ₹4,39,529 का कम ब्याज प्राप्त हुआ है। इस विषय को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 188, दिनांक 30.12.2015 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास के ध्यान में लाया गया तथा अध्यक्ष, मन्दिर न्यास द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय को सम्बन्धित बैंक प्रबन्धन के साथ उठाया गया है तथा इस सन्दर्भ की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। अतः कम प्राप्त ब्याज की राशि की संस्था स्तर पर भी आन्तरिक जांच करके इस मामले में सम्बन्धित बैंकों से लगातार सम्पर्क करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) न्यास द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा सावड़ा में सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज पर काटे गए आयकर में से ₹4,72,237 का वापिस न लिया जाना

न्यास द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा सावड़ा में लाखों रुपये की राशि सावधि योजना में निवेशित की गई है। बैंक द्वारा परिपक्वता की तिथि पर अर्जित होने वाले ब्याज में से आयकर की कटौती करके शेष राशि न्यास को वापिस दी गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

Statement of F.D.R. State Bank of India

FDR No.	Amount Invested	Date of Investment	Date of Maturity	Maturity Amount	Amount Received	Amount deducted as T.D.S.
334376	4,00,000	27-2-09	27-2-10	46,36,622	46,36,622	-

434734	21,62,086	27-2-09	27-2-10	23,51,805	23,49,934	1,871
334376	46,36,622	27-2-10	27-2-11	49,18,445	48,66,722	51,723
434734	23,49,934	27-2-10	27-2-11	24,91,685	24,47,881	43,804
31341702853	75,00,000	18-8-10	19-2-11	77,26,688	76,81,350	45,338
334376	48,66,722	27-2-11	27-2-12	52,93,767	52,35,265	58,502
434734	24,47,881	27-2-11	27-2-12	26,52,184	26,33,251	18,933
31341702853	76,81,350	19-2-11	17-12-11	79,81,886	79,21,565	60,321
31341702853	79,21,565	17-12-11	17-12-12	86,57,746	86,03,364	54,382
334376	52,35,265	27-2-12	27-2-13	57,31,687	56,86,161	45,526
434734	26,33,251	27-2-12	27-2-13	28,82,942	28,60,043	22,899
31341702853	86,03,364	17-12-12	17-12-13	93,58,292	93,04,125	54,167
334376	56,86,161	27-2-13	27-2-14	61,85,110	61,39,695	45,415
434734	28,60,043	27-2-13	27-2-14	31,11,006	30,88,163	22,843
31341702853	93,04,125	17-12-13	16-12-14	1,01,70,184	1,00,82,576	87,608
334376	61,39,695	27-2-14	27-2-15	67,11,198	66,53,729	57,469
434734	30,88,163	27-2-14	27-2-15	33,75,619	33,46,713	28,906

योग 699,707

इस प्रकार बैंक द्वारा माह 2/2010 से 2/2015 के दौरान समय-समय पर कुल ₹6,99,707 की आयकर के रूप में कटौती की गई, जबकि मन्दिर न्यास की आय कर मुक्त आय होती है, जिस कारण उक्त काटे गए आयकर में से माह 12/2013 में आयकर विभाग से ₹2,27,470 वापिस कर ली गई तथा शेष ₹4,72,237 प्राप्त करनी बकाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यास द्वारा इस राशि की वापिसी हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस राशि को वापिस प्राप्त हेतु अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा राशि की वसूली करके अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(च) हिमाचल प्रदेश स्टेट को० ऑपरेटिव बैंक शाखा सावड़ा द्वारा काटी गई आयकर की ₹26,631 तथा विलम्ब शुल्क की ₹1,324 अर्थात् कुल ₹27,955 की प्रतिपूर्ति न करने बारे

अभिलेख की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट को०ऑपरेटिव बैंक सावड़ा में न्यास द्वारा ₹15 लाख दिनांक 18.8.2010 को एक वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में निवेशित की गई थी। तदोपरान्त प्रत्येक वर्ष न्यास द्वारा परिपक्वता की तिथि पर उक्त राशि को अर्जित ब्याज के साथ पुनः निवेशित कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में अर्जित ब्याज की कुल ₹1,76,531 पर 10½ आयकर की ₹17,653 तथा विलम्ब शुल्क की ₹1324 अर्थात् कुल ₹18,977 की दिनांक 17.7.2014 को कटौती की गई तथा दिनांक 1.4.2014 से 30.6.2014 की आयकर की ₹4489 की कटौती दिनांक 7.7.2014 को की गई। इसके अतिरिक्त दिनांक 1.7.2014 से 30.9.2014 के आयकर की ₹4489 की कटौती दिनांक 7.10.2014 को करके आयकर विभाग के पास जमा करवाई गई। जांच में यह भी पाया गया कि बैंक द्वारा बचत खाते में जमा राशि में से सावधि जमा योजना पर अर्जित होने वाले ब्याज की राशि के उपलक्ष में आयकर की कटौती की गई है, परन्तु बैंक द्वारा इस प्रकार काटी गई कुल ₹27,955 की वापिस वसूली हेतु न्यास द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। अतः इस राशि की वापिस वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश स्टेट को०ऑपरेटिव बैंक द्वारा दिनांक 17.7.2014 को काटे गए विलम्ब शुल्क की ₹1324 न्यास कोष पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस राशि की या तो आयकर विभाग से अथवा चूककर्ता से प्रतिपूर्ति करके इस न्यास के कोष में जमा करवाकर अनुपालना से इसे कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

7 सोना व चांदी

(क) मन्दिर न्यास हाटकोटी के पास अवधि 1.1.2010 से 31.12.2014 के दौरान प्राप्त सोना-चांदी की वित्तीय स्थिति इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट-“घ” I व II पर संलग्न हैं।

(ख) सोना-चांदी से सम्बन्धित अभिलेख व स्टॉक के रख-रखाव के बारे

मन्दिर न्यास के सोना-चांदी से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में निम्नविवरणानुसार कई कमियाँ पाई गईं। इन पाई गई कमियों के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु अध्यक्ष मन्दिर न्यास से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 219, दिनांक 19.2.2016 व 220 दिनांक 19.2.2016 द्वारा अनुरोध किया गया था, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

(i) मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 1.11.2010 को अपनी बैठक में दो सोने की छड़े बनाने का निर्णय लिया गया तथा कार्य श्री बुद्धीराम पुत्र गुलाब दास, निवासी किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) को

₹450 प्रति 10 ग्राम के मेहनताने पर सौंपा गया। इस कार्य हेतु न्यास द्वारा दिनांक 20.11.2010 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 18.10.2006 से 1.9.2010 के दौरान चढ़ावे के रूप में प्राप्त 1 किलो 111 ग्राम सोना गलाने हेतु सुनारों को प्रदान किया गया। सुनारों द्वारा गलाने के पश्चात दो सिल्लियाँ 334 ग्राम 700 मि०ग्रा० तथा 265 ग्राम 600 मि०ग्रा० की प्रदान की गई तथा 99 ग्राम सोने के बारे में बताया गया कि यह छतर सोने का नहीं है तथा 406 ग्राम सोना बिना गलाए वापिस कर दिया गया। इस प्रकार सुनारों द्वारा उनको प्रदान किए गए 1 किलो 111 ग्राम सोने के विरुद्ध केवल 1 किलो 105 ग्राम 300 मि० ग्राम सोने का हिसाब दिया गया। इस प्रकरण में न्यास को 5 ग्राम 700 मि०ग्रा० सोना कम प्राप्त हुआ। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाने के अतिरिक्त 99 ग्राम के अशुद्ध छतर के बारे में भी वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(ii) भण्डारी श्री हरी सिंह द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2010 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास से उपर वर्णित सुनारों से प्राप्त 1 किलो 105 ग्राम 300 मि०ग्राम सोने को शुद्ध करने हेतु शिमला ले जाने की अनुमति मांगी गई तथा सोना मै० शिवा जी राव बम्बे वाले, दुकान नम्बर 7 रिपन हस्पिटल कमपलैक्स शिमला के पास ले जाया गया जिसमें से उनके द्वारा शुद्ध सोना 821 ग्रा० 820 मि०ग्रा० न्यास को वापिस किया गया तथा सोने में पाए गए खोट का विवरण निम्नलिखित दिया गया।

		ग्राम	मिलीग्राम
(1)	चांदी पर पालिश वाला सामान	51	500
(2)	ताम्बा वजन	15	150
(3)	गिलट का वजन	89	800
(4)	नग इत्यादि	9	700
(5)	सैम्पल	—	850
(6)	खोट निकला	116	380
		283	380

इस प्रकार मै० शिव जी राव द्वारा प्राप्त 1 किलो 105 ग्राम 300 मि०ग्राम सोने के विरुद्ध उनके द्वारा केवल 1 किलो 105 ग्राम 200 मि०ग्राम सोने का हिसाब दिया गया। अतः कम प्राप्त किए गए 100 मि०ग्रा० सोने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iii) मै० शिवा जी राव के पास जो सोना शुद्धीकरण हेतु ले जाया गया, वह पहले छड़ी तैयार करने हेतु मन्दिर द्वारा नियुक्त सुनारों द्वारा जांचा गया तथा गलाया गया था, जिसमें से उनके द्वारा 99 ग्राम सोने के बारे में बताया गया कि यह छतर सोने का नहीं है, तथा मै० शिव जी राव द्वारा 89.800 ग्राम गिलट, 15.150 ग्रा० ताम्बा तथा 51.500 ग्रा० चांदी का सामान दर्शाया गया, जबकि मन्दिर में तैनात सुनारों द्वारा चांदी के सामान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहां

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राप्त सामान की स्टॉक प्रविष्टि न्यास के सदस्यों द्वारा जांच व सत्यापन उपरान्त की गई थी। इस प्रकार 51.500 ग्रा0 सोने को चांदी का दर्शाया जाना सारी प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, जिसमें किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर न्यास के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच अमल में लाई जाए तथा किसी प्रकार के दुरुपयोग की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(iv) जांच में पाया गया कि शुद्धीकरण की प्रक्रिया में मै0 शिवाजी राव द्वारा ताम्बा, चांदी, नग, गिल्ट इत्यादि का जो सामान वापिस किया गया है, उसकी कोई भी स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है। अतः इस सन्दर्भ में जांच के उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) न्यास द्वारा प्राप्त सोना-चांदी की प्राप्ति के सन्दर्भ में कोई रसीद इत्यादि न जारी किया जाना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा जिस दिन कोई सोना अथवा चांदी की भेंट प्राप्त होती है, उसी दिन उसका बजन करके व भेंट कर्ता को रसीद प्रदान करके स्टॉक प्रविष्टि करने के स्थान पर इक्वटी स्टॉक प्रविष्टि ली जाती है। अंकेक्षण अवधि के 5 वर्षों में सोने की केवल मात्र 3 बार तथा चांदी की केवल मात्र 4 बार स्टॉक प्रविष्टियां की गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	स्टॉक इन्द्राज की तिथि	सोने की मात्रा			चांदी की मात्रा	
		ग्राम	मिलीग्राम	किलो	ग्राम	मिलीग्राम
1)	1.9.2010	217	00	7	500	00
2)	24.11.2011	181	00	5	910	00
3)	14.5.2013	220	00	4	820	00
4)	17.8.2014	—	—	3	800	00

इस प्रकार प्राप्त सोने व चांदी की प्राप्ति के दिन गणना के उपरान्त रसीद जारी करके स्टॉक प्रविष्टि न करना तथा वर्षों तक सोने एवं चांदी की गणना न करना एक गम्भीर अनियमितता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में कभी भी किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि मन्दिर न्यास में जब-जब सोना-चांदी भेंट स्वरूप प्राप्त होती है, उसी समय उसका बजन करके तथा भेंटकर्ता को रसीद प्रदान करके इसका स्टॉक में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास को भेंट स्वरूप जो नग इत्यादि प्राप्त हुए हैं, उनका सोने के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है, परन्तु वर्ष के अन्तशेष में उन्हें स्टॉक में नहीं दर्शाया गया है, जैसे कि दिनांक 24.11.2011 को किए गए इन्द्राज के अनुसार नीला पुखराज के 4.4 कैरेट का स्टॉक में आगे कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः स्टॉक में पड़े समस्त नगों का प्रत्यक्ष सत्यापन करके प्रत्येक नग का स्टॉक में अलग से इन्द्राज दर्शाया जाए ताकि किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारा जा सके।

8 अनुदान

(क) जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पत्र संख्या: 6-8/2009-DTO-SML-Vol-I, दिनांक सितम्बर 2011, जोकि उप-मण्डल अधिकारी (ना0) रोहडू को प्रेषित है, के अनुसार भारत सरकार पर्यटन मन्त्रालय द्वारा रोहडू व चांशल सर्कल के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु प्राप्त ₹30 लाख में से तीसरी व अन्तिम किश्त के रूप में ₹6 लाख प्रदान की गई। इस ₹30 लाख में से ₹20 लाख हाटकोटी पार्क का सौंदर्यकरण करने इत्यादि हेतु तथा ₹10 लाख पार्किंग बनाने हेतु स्वीकृत की गई थी। जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा उक्त पत्र में यह भी सूचित किया गया कि “क्योंकि प्रथम किश्त में ₹16 लाख तथा दूसरी किश्त में ₹8 लाख पहले ही भेजी जा चुकी हैं, अतः इस पत्र के साथ उनके द्वारा ₹6 लाख भेजी गई है, परन्तु अभिलेख की जांच में पाया गया कि उपर वर्णित ₹30 लाख में से न्यास को केवल ₹26 लाख 50 हजार ही प्राप्त हुई थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं०	पत्र संख्या	दिनांक	राशि
(1)	RHU/AN/2011-3399	12.10.2011	6,00,000
(2)	RHU/AN/2011-5790	11.11.2011	12,50,000
(3)	RHU/AN/2012-346	10.2.2012	8,00,000
			26,50,000

इस प्रकार न्यास द्वारा स्वीकृत राशि में से ₹3 लाख 50 हजार रुपये कम प्राप्त की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 193, दिनांक 6.1.2016 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास व उप-मण्डल अधिकारी (ना0) रोहडू से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर के विशेष ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकरण में अविलम्ब जांच के उपरान्त वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अलग से नहीं रखा गया है, जिसे अविलम्ब तैयार किया जाए तथा व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख व उपयोगिता प्रमाण की प्रतिलिपि भी आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

9 राशि को वसूली के उपरान्त बैंक खाते में जमा न करवाया जाना

नियमानुसार प्राप्त आय की राशि की वसूलियों को उसी दिन अथवा अगले दिन सम्बन्धित खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित होता है, ताकि किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारा जा सके, परन्तु जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा नियमों की पूर्ण अवहेलना करके माह के दौरान वसूली गई राशियों की केवल दो बार अर्थात् प्रत्येक माह की 2 तारीख को तथा पुनः माह के मध्य में अर्थात् 15-16 तारीख को बैंक में जमा करवाया गया है। इस विषय को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 161, दिनांक 5.12.2015 द्वारा न्यास के ध्यान में लाया गया तथा उनको अवगत करवाया गया कि राशि को वसूली के तत्काल बाद सम्बन्धित खाते में जमा न करवा कर 15-20 दिन बाद जमा करवाना नियमों की अवहेलना है तथा राशि का अस्थायी दुरुपयोग है। इसके अतिरिक्त न्यास को राशि पर अर्जित होने वाले मासिक ब्याज से भी वंचित होना पड़ता है क्योंकि बैंकों द्वारा बचत खाते में 10 तारीख से माह अन्त तक जो न्यूनतम राशि होती है, उस पर ही मासिक ब्याज दिया जाता है, परन्तु इस सन्दर्भ में न्यास द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः राशि को वसूली के उपरान्त तत्काल नियमानुसार बैंक खातों में जमा न करवाने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार राशि को वसूली के उपरान्त तत्काल बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। न्यास द्वारा विलम्ब से जमा करवाई गई राशियों में से कुछ का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं०	मन्दिर सराय से प्राप्त आय का विवरण	न्यास कोष में जमा करवाने का विवरण
1	दिनांक 1.3.10 से 9.3.10 तक प्राप्त आय राशि ₹7490	रसीद संख्या 1668, दिनांक 15.3.10 द्वारा न्यास कोष व तदोपरान्त बैंक खाते में जमा करवाया गया।
2	दिनांक 7.3.10 को सराय की अग्रिम बुकिंग हेतु रसीद संख्या 327 में प्राप्त राशि ₹10,000	रसीद संख्या 1715, दिनांक 1.4.2010 द्वारा न्यास कोष व बैंक में जमा करवाया गया।
3	दिनांक 1.11.12 से 10.11.12 तक प्राप्त आय राशि ₹1,58,240	रसीद संख्या 1008, दिनांक 15.11.2012 द्वारा न्यास कोष व बैंक में जमा करवाया गया।
4	दिनांक 1.7.2011 से 10.7.2011 तक प्राप्त राशि ₹1,33,540	रसीद संख्या 0258, दिनांक 16.7.2011 द्वारा न्यास कोष व बैंक में जमा करवाया गया।
5	दिनांक 1.10.2013 से 10.10.2013 तक प्राप्त राशि ₹1,07,358	रसीद संख्या 1497, दिनांक 17.10.2013 द्वारा न्यास कोष व बैंक में जमा करवाया गया।

6 दिनांक 1.1.2014 से 10.1.2014 तक रसीद संख्या 1970, दिनांक 17.10.2014 द्वारा प्राप्त राशि ₹15,075 न्यास कोष व तदोपरान्त बैंक खाते में जमा करवाया गया।

10 रसीद पुस्तकों के स्टॉक के रख रखाव बारे

अभिलेख की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा प्रयोग में लाई जा रही रसीद पुस्तकों के सन्दर्भ में कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाया गया है, जिसके अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि न्यास द्वारा कितनी रसीद पुस्तकें छपवाई गई, रसीद पुस्तकें किस क्रमांक की थी, कितनी रसीद पुस्तकें कब-कब प्रयोग में लाई गई तथा कितनी रसीदें पुस्तकें शेष हैं। यहां पर यह भी वर्णित किया जाता है कि आय की प्राप्ति का मुख्य रिकॉर्ड प्रायतः रसीद पुस्तकों में रखा जाता है तथा उनका स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना एक गम्भीर चूक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 163, दिनांक 7.12.2015 द्वारा न्यास से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था तथा यह भी स्पष्ट करने को कहा गया था कि इस अत्यन्त आवश्यक व अनिवार्य अभिलेख की अनुपलब्धता में मन्दिर प्रशासन द्वारा यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है कि किसी रसीद का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है, परन्तु इस सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके व किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारते हुए निम्न वर्णित परफोर्मा पर रसीद पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

Date of Receipt of Receipt Books	No of Receipt Book Received	Sr. No. of the Receipt Book	No. of forms in the Receipt Book reffered to in Col.No. 3
1	2	3	4
Signature of the Custodian of Receipt Book	Signature of the officer attesting the entry mode in the stock Register	Dated of issue of Receipt Books for use	Sr. No. of the Receipt Book issued for use.
5	6	7	8
Signature of the official to whom issued	Date of return of the receipt books after use	Period during which the receipt book has been used	Signature of the official attesting the entry mode in the stock register
9	10	11	12
Remarks			
13			

11 अग्रिम के रूप में दी गई राशि में से शेष बकाया ₹18,114 का लम्बी अवधि तक उपयोग न करना

नियमानुसार किसी कार्य हेतु यदि अग्रधन राशि प्रदान की जाती है, तो कार्य की समाप्ति/पूर्ण होने के एक माह भीतर शेष बकाया राशि का वापिस जमा करवाया जाना अपेक्षित होता है। अभिलेख की जांच में पाया गया कि बिल वाऊचर संख्या: 79, दिनांक 14.4.2011 के अन्तर्गत न्यासी श्री रतन चौहान व पूर्ण सिंह रावत को सराय में प्रयोग हेतु सामान की खरीद करने हेतु ₹10.00 लाख अग्रिम के रूप में प्रदान की गई थी, जिसमें से उनके द्वारा दिनांक 3.5.2011 तक ₹8,81,886 का सामान की खरीद करने पर व्यय किया गया तथा दिनांक 2.5.2011 को ₹1 लाख वापिस जमा करवा भी दी गई थी, परन्तु शेष राशि में से ₹1200 दिनांक 24.11.2011 अर्थात् 6 माह बाद को, ₹9,653 दिनांक 3.7.2012 को अर्थात् 1 वर्ष 2 माह बाद तथा ₹7261 दिनांक 5.4.2014 अर्थात् 3 वर्ष पश्चात् समायोजित करवाई गई। इस प्रकार उक्त अग्रधन राशि का समायोजन किया गया तथा न्यास के सदस्यों द्वारा ₹18,114 तक अस्थाई दुरुपयोग किया गया है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा राशि के अस्थाई दुरुपयोग के कारण न्यास को हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिस कार्य हेतु अग्रधन दिया गया है उसे इस कार्य समाप्ति के पश्चात् अविलम्ब शेष बकाया राशि को न्यास कोष में जमा किया जाए।

12 मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त आय तथा वेतन इत्यादि पर किए गए व्यय के बारे में

(क) श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी द्वारा अंकेक्षण अवधि में वेतन पर किए गए व्यय का वर्षवार संक्षिप्त सार निम्नलिखित से रहा।

वर्ष	कुल आय	वेतन पद किया गया व्यय	वेतन पर आय का जितना प्रतिशत व्यय किया गया
2010	74,30,690	7,54,300	10.15%
2011	94,30,721	8,47,485	8.99%
2012	98,41,355	9,21,380	9.36%
2013	1,06,53,330	10,37,776	9.74%
2014	1,02,76,851	10,72,701	10.44%

मन्दिर न्यास की सम्पत्ति व लेखों के रख-रखाव तथा सुरक्षा इत्यादि के लिए निम्नलिखित कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिनको निम्न विवरणानुसार मासिक रूप से नियमित वेतन दिया जाता है। दिनांक 31.12.2014 को न्यास में निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत थे:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पद	वेतन	भत्ता	कुल अधिक वेतन
1	श्री भवानीदत्त	भण्डारी	7130	710	7840
2	श्री जयलाल	लिपिक	6325	630	6955
3	श्री ओम प्रकाश	माली	2875	285	3160
4	श्री हरबन्स सिंह	सुपरवाइज़र	5175	515	5690
5	शिवदत्त	चौकीदार	5175	515	5690
6	शामानन्द	चौकीदार	5175	515	5690
7	शिशु राम	चौकीदार	5175	515	5690
8	अनूप कुमार	चौकीदार	5175	515	5690
9	चमन लाल	चौकीदार	5175	515	5690
10	तारा सिंह	चौकीदार	5175	515 + 200	5890
11	लोकिन्दर	चौकीदार	5175	515 + 200	5890
12	राकेश	सफाई कर्मचारी	5175	515	5690
13	भोपिन्दर	सफाई कर्मचारी	5175	515	5690
14	रकमू	सफाई कर्मचारी	5175	515	5690
15	कुब्जा	बाजगी	5175	515	5690

उपरोक्त के अतिरिक्त मन्दिर में निर्माण कार्यों हेतु अंशकालीन कर्मचारी के रूप में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर श्री राकेश कुमार तथा विद्युतकार के पद पर श्री दिनेश को प्रति माह मानदेय पर नियुक्त किया गया है जिन्हें दिसम्बर 2014 में प्रति माह क्रमशः ₹2000 व ₹1790 मानदेय दिया जा रहा है।

(ख) कर्मचारियों के सेवा नियम का न बनाया जाना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई भी सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, किसी भी कर्मचारी की न तो कोई सेवा पंजिका तैयार की गई है, और न ही वेतनमान अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों का सेवा निवृत्ति पर मिलने वाले कोई लाभ भी अधिसूचित नहीं किए गए हैं। मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 16.6.2006 को सम्पन्न हुई बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 2 में कर्मचारियों के सेवा नियम बनाने की अनुशंसा की थी, परन्तु 9 वर्ष बीत जाने पर भी इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इस विषय के सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 24 में भी आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु न्यास द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जो एक चिन्तनीय विषय है। वर्तमान में न्यास में कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु 58 वर्ष से भी अधिक आयु अर्थात् (65 वर्ष से 70 वर्ष) की आयु में भी कार्यरत हैं। इस प्रकार कर्मचारियों के सेवा नियम न बनाने के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 173 दिनांक 9.12.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अध्यक्ष एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0) रोहडू से निवेदन किया गया था, जिसके उत्तर में

उसके द्वारा पत्र संख्या: 4 दिनांक 14.1.2016 द्वारा सूचित किया कि मन्दिर की अर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, परिणामस्वरूप कर्मचारी स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होते हैं। अतः यह मामला आयुक्त (मन्दिर) के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में अविलम्ब प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा कर्मचारियों के सेवा नियम बनाने के अतिरिक्त उनकी सेवा निवृत्ति की आयु तथा उनको मिलने वाली छुट्टियाँ इत्यादि एवं अन्य लाभ निश्चित हो सकें।

(ग) कर्मचारियों के वेतन में की गई बढ़ौतरी के सन्दर्भ में

अंकेक्षण अवधि 1.1.2010 से 31.12.2014 के दौरान न्यास कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हेतु न्यास द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों का विवरण निम्नलिखित है।

- (i) दिनांक 11.3.2010 को सम्पन्न हुई बैठक में मद संख्या: 3 के अन्तर्गत वेतन में 10% बढ़ौतरी का प्रस्ताव पारित किया गया।
- (ii) दिनांक 19.3.2011 को सम्पन्न हुई बैठक की मद संख्या: 1 में 12% बढ़ौतरी देने के साथ श्री मनोज, श्री अनूप व श्री लोकिन्द्र का वेतन बगीचे में कार्य करने के कारण बढ़ा कर ₹4500 प्रति माह करने का निर्णय लिया गया।
- (iii) दिनांक 4.3.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में मद संख्या: 5 के अन्तर्गत कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करते हुए निम्नलिखित वेतन निर्धारित किए गए। (1) भण्डारी ₹6200 प्रति माह (2) लिपिक ₹5500 प्रति माह (3) मुन्शी ₹4500 प्रति माह (4) माली ₹2500 प्रति माह (5) बाजगी ₹3000 प्रति माह तथा (6) श्री लायक राम चौकीदार के कार्य को देखते हुए उनका वेतन ₹5250 प्रति माह निर्धारित किया गया।
- (iv) दिनांक 21.3.2013 को सम्पन्न हुई बैठक की मद संख्या: 13 में सभी कर्मचारियों के वेतन में 15% बढ़ौतरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- (v) दिनांक 29.3.2014 को सम्पन्न हुई बैठक में सभी कर्मचारियों के वेतन में 10% बढ़ौतरी करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

इस प्रकार न्यास द्वारा पारित उक्त प्रस्तावों की अनुपालना में न्यास कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतररी कर दी गई, परन्तु बढ़ौतरी से पूर्व न तो इन प्रस्तावों को आयुक्त (मन्दिर) से अनुमोदित करवाया गया और न ही इस सन्दर्भ में अलग से कार्यालय आदेश जारी किए गए, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस सन्दर्भ में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके की गई बढ़ौतरी को नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके तथा कार्यालय आदेश जारी करने के उपरान्त ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी करनी सुनिश्चित की जाए।

(घ) कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे ऋण के बारे में

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके बच्चों की शादी, मकान की मरम्मत/निर्माण इत्यादि कार्यों हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है परन्तु इस सन्दर्भ में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं तथा न ही इन प्रकरणों में आयुक्त (मन्दिर) की अनुमति प्राप्त की गई है। यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ जाए अथवा अन्य कारणों से ऋण राशि वसूल न हो तो राशि की वसूली किस प्रकार सम्भव होगी इस बारे भी कुछ स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार नियमों के बिना तथा आयुक्त (मन्दिर) द्वारा उनके अनुमोदन बिना ऋण की राशियों का भुगतान किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके कारण स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इन अनियमितताओं को नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियम बना कर ही ऋण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अंकेक्षण अवधि में भुगतान की गई ऋण की राशियों में कुछ विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	कर्मचारी का नाम	पद	मासिक वेतन	प्रदान की गई ऋण की राशि	मासिक वसूली की किरत राशि
2010-11	श्री लायक राम	चौकीदार (सराय)	4425	30,000	2,000
	श्री तारा सिंह	-यथोपरि-	3795	25,000	1500
2011-12	श्री भोपिन्द्र	सफाई कर्मचारी	3300	10,000	1,000
	श्री शिशी राम	चौकीदार मन्दिर	3795	30,000	2,000
2012-13	श्री हरबन्स	सुपरवाइज़र	4500	40,000	2,000
	श्री राकेश कुमार	सफाई कर्मचारी	4500	10,000	1,000
2013-14	श्री लोकिन्द्र	सफाई कर्मचारी	5735	26,000	2,000
	श्री भोपिन्द्र	सफाई कर्मचारी	5175	15,000	2,000
2014-15	श्री शिव दत्त	चौकीदार	5690	30,000	2,000
	श्री अनूप कुमार	चौकीदार	5690	30,000	2,500

(ङ) न्यास द्वारा कर्मचारियों को व आश्रितों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता के सन्दर्भ में

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, परन्तु इस सन्दर्भ में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और न ही आयुक्त (मन्दिर) से इस सन्दर्भ में स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसके कारण स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में आयुक्त (मन्दिर) से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके किए गए भुगतानों को नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस सन्दर्भ में स्पष्ट

नियम बना कर ही भुगतान किए जाने सुनिश्चित किए जाए। न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को आर्थिक सहायता के रूप में किए गए भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र० स०	वाऊचर संख्या	कर्मचारी का नाम व पद	कारण जिस हेतु राशि प्रदान की गई	राशि
1	311, माह 11/2012	श्री जीवनू राम, बाजगी	मकान में आग लगने के कारण	5,000
2	312, माह 11/2012	श्रीमती कुब्जा देवी, बजन्तरी	मकान में आग लगने के कारण	10,000
3	313, माह 11/2012	श्री चमन शर्मा, चौकीदार	चिकित्सा हेतु	20,000
4	314, माह 11/2012	श्री लायक राम रोल्टा चौकीदार	चिकित्सा हेतु	20,000
5	24, माह 5/2013	श्री मिला राम, बजन्तरी	चिकित्सा हेतु	5,000
6	257, माह 10/2013	श्री एम०एल० शर्मा पुत्र, पूर्व पुजारी	बहन की शादी का खर्चा बहन करने हेतु	10,000
7	183, माह 9/2014	श्रीमती विमला पत्नी स्व० श्री लायकराम, चौकीदार	मृत्यु उपदान	50,000

13 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व आदेशों के बिना कर्मचारियों की नियुक्ति करने बारे

(क) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि न्यास द्वारा समय-समय पर जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, उनके सन्दर्भ में केवल मात्र न्यास बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया तथा तदोपरान्त उनको नियुक्ति प्रदान कर दी गई। इस सन्दर्भ में न तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई, न ही कोई कार्यालय आदेश जारी किए गए और न ही अन्य कौडल औपचारिकताएं की गई। इस प्रकार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कौडल औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना तथा कार्यालय आदेश जारी किए बिना कर्मचारियों की नियुक्ति प्रदान करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह मामला आयुक्त (मन्दिर) न्यास के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अंकेक्षण अवधि में मन्दिर न्यास प्रदान की गई नियुक्ति का विवरण निम्नलिखित है।

- (i) दिनांक 17.10.2011 सम्पन्न हुई न्यास बैठक में प्रस्ताव संख्या: 1 के अनुसार पूर्व भण्डारी श्री हरी चन्द की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री भवनी दत्त शर्मा को भण्डारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
- (ii) दिनांक 8.9.2011 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या: 6 के अन्तर्गत एक अंशकालीन पलम्बर की नियुक्ति ₹1000 प्रति माह मानदेय पर करने की अनुमति प्रदान की गई।

- (iii) दिनांक 26.7.2014 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या: 4 के अन्तर्गत ₹165 में दैनिक वेतन पर दो चौकीदार नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई तथा तदनुसार श्री चेतन कुमार व यशवीर को दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई।
- (iv) दिनांक 15.9.2014 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या: 4 के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार को अंशकालीन कर्मचारी के रूप में ₹240 मानदेय पर कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
- (ख) अभिलेख की जांच में यह भी पाया गया कि मन्दिर में कई ऐसे कर्मचारी भी तैनात हैं, जिनकी नियुक्ति के सन्दर्भ में न तो न्यास द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया है और न ही आयुक्त मन्दिर से इस सन्दर्भ में आदेश व अनुमति प्राप्त की गई है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर के विशेष संज्ञान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके तथा भविष्य में इस प्रकार की नियुक्ति करने पर रोक लगाई जा सके। इस प्रकार अनियमित रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारियों का विवरण निम्नलिखित है।
- (i) माह मार्च 2012 में श्री मुरकी लाल को लंगर भवन के निर्माण कार्य पर ₹5000 मासिक वेतन पर लेबर इन्चार्ज के रूप में नियुक्त किया गया।
- (ii) श्री केदार सिंह को दिनांक 25.3.2012 से दैनिक वेतन भोगी मजदूर के पद पर नियुक्त किया गया।
- (iii) माह फरवरी 2014 से दो कर्मचारी श्री मेला राम व श्रीमती समीत्रा देवी को पार्क में तथा श्रीमती गीता देवी को सुलभ शौचालय में सफाई कार्य हेतु दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया।

14 न्यास के सदस्यों कर्मचारियों तथा अन्य को दी गई अग्रिम ₹4,07,103 का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

(क) मन्दिर न्यास के सदस्यों, कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के नाम पर दिनांक 31.12.2014 को ₹4,07,103 अग्रिम के रूप में समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार इतनी बड़ी राशि का समायोजन हेतु शेष बकाया रहना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इन शेष बकाया राशियों का अविलम्ब समायोजन करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या जिसे अग्रिम भुगतान किया गया

दिनांक 31.12.2014 को समायोजन हेतु शेष बकाया राशि

1	लोकिन्दर, सेवादार (बगीचा मन्दिर)	30,000
2	शिवदत्त, सेवादार (मन्दिर)	19,000
3	जयलाला, सेवादार (मन्दिर)	10,410

4	ईन्दर सिंह (बिजली फिटिंग वाला)	10,000
5	अनूप कुमार, सेवादार (सराय)	20,000
6	राकेश कुमार, सेवादार (सराय)	7,000
7	भवानी दत्त (भण्डारी)	38,260
8	भूपिन्दर (सेवादार)	8,000
9	रेशम बहादुर (मिस्त्री)	9,294
10	रविन्द्र रवि	50,000
11	दिल बहादुर	10,000
12	पनियाराम (मेट)	90,000
13	बलवान (मिस्त्री)	12,000
14	भगवान सिंह	10
15	धमिन्द्र (मिस्त्री)	75,000
16	सुरेश (मिस्त्री)	802
17	निमार्ण सराय कमेटी	8,373
18	तैहसील टैम्पल कमेटी	8,929
19	मनेजर सिंह (पलम्बर)	25
	योग	4,07,103

(ख) अभिलेख की जांच में पाया गया कि उक्त वर्णित 19 व्यक्तियों से समायोजन हेतु कुल अग्रिम ₹4,07,103 में से निम्न विवरणानुसार ₹2,74,398 विभिन्न ठेकेदारों तथा अन्य को प्रदान की गई थी।

क्र० सं०	ठेकेदार का नाम	अग्रधन प्रदान करने की तिथि	अग्रधन राशि	कार्य जिस हेतु अग्रधन राशि प्रदान की गई
1	धमेन्द्र मिस्त्री	15.10.2006	75,000	सराय भवन में लकड़ी का काम करने हेतु
2	बलवान मिस्त्री	8.11.2007	12,000	सराय भवन में लकड़ी का काम करने हेतु
3	सुरेश कुमार	17.3.2007	802	सराय भवन में जल मल निकासी फिटिंग
4	रेशम बहादुर मिस्त्री	2.3.2012	9,294	लेबर हट बगिचा में काम करने हेतु
5	रविन्द्र राठौर	16.5.2012	50,000	बगीचे में पानी टैंक बनाने हेतु
6	दिल बहादुर	3.7.2012	10,000	लंगर भवन को लेबर लाने हेतु
7	पनिय राम	26.12.2012	90,000	बगीचे में झाड़ियां हटाने हेतु
8	ईन्दर सिंह	2.7.2014	10,000	लंगर भवन में बिजली की फिटिंग

9	सराय निर्माण कमेटी	8,373	विकास में जन सहयोग
10	तहसील टैम्पल कमेटी	35 से 40 वर्ष पहले	8,929 —

योग 2,74,398

नियमानुसार ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु लाए गए सामान मुल्य का 75% सुरक्षित अग्रिम के रूप में अथवा उनके द्वारा निष्पादित कार्य के 75% के बराबर राशि कौडल औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त प्रदान की जा सकती है, परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इन नियमों की पूर्ण रूप में अवहेलना की गई है, जो एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार क्रम संख्या: 1, 4, 5, 6, 7, 8 पर वर्णित ठेकेदारों के बिल बनाए जाने शेष हैं, जिसके उपरान्त उन्हें प्रदान की गई राशियों का समायोजन किया जा सकेगा। क्रम संख्या 1 पर वर्णित ठेकेदार श्री धर्मेन्द्र को अग्रधन प्रदान किए हुए 9 वर्ष बीत चुके हैं, तथा अन्य ठेकेदारों को भी अग्रधन प्रदान किए हुए लगभग 4 वर्ष बीत गए हैं, परन्तु इतने वर्ष बीत जाने पर भी ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य का बिल न बनाना व प्रदान की गई अग्रधन राशि का समायोजन न करना आपत्तिजनक है। अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाएं जिससे राशियों का समायोजन सम्भव हो सके तथा जिन राशियों का समायोजन सम्भव नहीं है अथवा ठेकेदारों से वसूली सम्भव नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में चूक हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करके राशि की प्रतिपूर्ति की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमों की अनुपालना के उपरान्त ही अग्रिम राशि दी जानी सुनिश्चित की जाए।

15 दुकानों के किराया की ₹89,555 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.12.2014 तक न्यास की दुकानों के किरायेदारों से निम्नविवरणानुसार किराये की ₹89,555 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी अविलम्ब अनुबन्ध/आबन्तन की शर्त अनुसार 12% ब्याज के साथ वसूली करके, इसे न्यास कोष में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

क्र०सं०	किरायेदार का नाम	वसूली योग्य राशि
1	श्री सतीश कुमार	8,355
2	सोरभ टैण्ट हाऊस	1,760
3	श्री शिव सिंह	5,280
4	श्री सुबोध	10,560
5	राज टैण्ट हाऊस	8,420
6	श्री संघीरा	13,600
7	श्री दीपक वालिया	9,600
8	श्रीमती कान्ता	5,280

9	श्री अनिल कुमार	2,000
10	श्री घनश्याम	12,700
11	स्टेट बैंक (सावडा)	12,000
	योग	₹89,555

16 दुकानों के किराये के निर्धारण व वसूली में की गई अनियमितताओं के कारण न्यास को हुई लाखों रुपये की हानि के सन्दर्भ में

अभिलेख की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर में स्थित दुकानों के किराये के निर्धारण तथा दुकानदारों से किराये की वसूली हेतु की गई अनियमितताओं के कारण न्यास को लाखों रुपये की हानि हुई है, जिसका विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है। अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर के विशेष संज्ञान में लाया जाता है, ताकि इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

(क) दुकानों के आबंटन की शर्त के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त दुकानों का किराया पुनः निर्धारित न करने के कारण न्यास को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित रहना

न्यास द्वारा अपनी दुकानें दिनांक 1.10.2001 को निविदाएँ आमन्त्रित करने के उपरान्त व नैगोसियेशन के उपरान्त 3 वर्ष के लिए आबन्तित की गई तथा आबंटन में 3 वर्ष के उपरान्त खुली बोली द्वारा पुनः आबंटित करने की शर्त लगाई गई थी। उक्त आबंटन के दौरान दुकान नम्बर 1 का किराया ₹2,531 प्रति माह, दुकान संख्या: 2 से 7 तक की 6 दुकानों का किराया ₹500 प्रति माह तथा दुकान नम्बर 8 से 12 तक की 5 दुकानों का किराया ₹800 प्रति माह निर्धारित किया गया। आबन्तन की शर्त के अनुसार न्यास द्वारा 3 वर्ष के उपरान्त दिनांक 1.10.2004 को दुकानों का किराया पुनः निर्धारित किया गया जिसमें खुली बोली के स्थान पर नैगोसियेशन द्वारा ₹500 मासिक वाली किराये पर आबन्तित दुकानों का किराया बढ़ा कर ₹800 प्रति माह किया गया तथा शेष दुकानों के किराये में 10% की बढ़ौतरी करके इन्हें पुनः 3 वर्ष के लिए आबन्तित किया गया तथा आबन्तन में पुनः 3 वर्ष के उपरान्त दुकानें खुली बोली द्वारा आबन्तित करने की शर्त लगाई गई। जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा माह 10/2004 के पश्चात आबन्तन की शर्त की अनुपालना से कभी भी 3 वर्ष के उपरान्त न तो नैगोसियेशन द्वारा और न ही खुली बोली द्वारा दुकानों के किराये में बढ़ौतरी की गई, परिणामस्वरूप दुकानदारों द्वारा 11 वर्ष बीत जाने पर भी माह 10/2004 में निर्धारित किए गए किराये पर ही भुगतान किया जा रहा है। यदि आबन्तन की शर्त के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त खुली बोली द्वारा दुकाने पुनः आबन्तित की जाती, तो न्यास को किराये की बढ़ौतरी स्वरूप लाखों रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती थी। इस प्रकार यदि माह 10/2004 के तीन वर्ष पश्चात अर्थात् माह 10/2007 से न्यास द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त किराये में 10% की बढ़ौतरी भी की जाती तो न्यास को अतिरिक्त

आय को सकती थी जोकि न्यास द्वारा नियमानुसार समय पर वांछित कार्रवाई न करने के कारण नहीं की जा सकी, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	दुकान सं०	प्रथम आबंटन दिनांक 1.10.2001 को निर्धारित किराया प्रतिमाह	3 वर्ष उपरान्त दिनांक 1.10.04 को निर्धारित किराया प्रतिमाह	नियमानुसार प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर 10% की वृद्धि के साथ निर्धारित होने वाला किराया प्रतिमाह		
				1.10.2007	1.10.2010	1.10.2013
1	1	2,531	2784	3,062	3,368	3,706
2	2 से 7 (6 दुकानें)	800	880	968	1,065	1,171
3	8 से 12 (5 दुकानें)	500	800	880	968	1,065

अतः आबंटन की शर्तों के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के अन्तराल पर किराये के पुनः निर्धारित न करने के कारण न्यास को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित रहना पड़ा है, जिस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस चूक हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करके वांछित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दुकानदारों से विलम्ब शुल्क की वसूली न करना

मन्दिर न्यास द्वारा अपनी दुकानें आबन्तित करते समय यह शर्त लगाई गई थी कि प्रत्येक दुकानदार द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक किराया जमा करवाना होगा अन्यथा उससे 12% ब्याज के साथ किराया वसूली की जायेगी। अभिलेख की जांच में पाया गया कि किसी भी किरायेदार द्वारा समय पर किराया जमा नहीं करवाया गया है, परन्तु फिर भी न्यास द्वारा कभी भी किसी भी दुकानदार से उक्त वर्णित शर्त के अनुसार विलम्ब शुल्क/ब्याज की वसूली हेतु न तो कभी मांग की गई और न ही वसूली की गई है। इस विषय को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 192, दिनांक 6.1.2016 द्वारा अध्यक्ष एवं उपमण्डलाधिकारी (ना10) रोहडू मन्दिर न्यास के साथ उठाया गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः विलम्ब से किराया वसूली करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा विलम्ब शुल्क की गणना न्यास स्तर पर कर इसकी वसूली की जाए तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(ग) श्री राकेश मोहन से 6 वर्ष 6 माह तक के किराये की ₹68,640 की वसूली न करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा माह 10/2005 में दुकान नम्बर 6 श्री राकेश मोहन को ₹880 मासिक किराये पर आबन्तित की गई। श्री राकेश मोहन द्वारा आबन्तन के पश्चात माह 3/2012 तक अर्थात् (6 वर्ष तथा 6 माह तक) कभी भी न्यास के पास किराया जमा

नहीं करवाया गया और न ही न्यास द्वारा इन 6½ वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। इस प्रकार श्री राकेश मोहन को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए उनसे कुल किराये की (माह 3/2012 तक) (78 माह x 880 = 68640) की वसूली नहीं की गई। तदोपरान्त श्री राकेश मोहन द्वारा माह 3/2012 में ₹25,000 व 4/2012 में ₹1000 जमा करवाई गई तथा शेष ₹42,640 की वसूली हेतु लगभग 4 वर्ष बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा माह 4/2012 के किराये की वसूली हेतु सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि न्यास द्वारा श्री राकेश मोहन को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा मन्दिर कोष को हजारों रुपयों की हानि पहुंचाई गई है। अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके और श्री राकेश मोहन से ब्याज सहित समस्त किराये की वसूली की जाए इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

17 मन्दिर न्यास के सराय भवन के किराये की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख बारे तथा सराय भवन के अन्य अभिलेख के रख-रखाव से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) सराय भवन के हॉल के किराए की ₹6,94,008 की कम वसूली करना

मन्दिर सराय भवन से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सराय भवन के हालों का किराया नियमानुसार नहीं वसूला गया है, जिससे सम्बन्धित कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं,

- (i) न्यास द्वारा किराए की वसूली निर्धारित दरों पर न करके कम दरों पर की गई है, जैसे पूरे दिन का किराया वसूल न करके कुछ घण्टों के आधार पर अथवा आधे दिन की बुकिंग दर्शा कर आधी दरों पर वसूली की गई है, जबकि न्यास द्वारा इस प्रकार की कम दरों पर वसूली करने सम्बन्धित कोई प्रस्ताव अथवा आदेश नहीं दिए गए थे।
- (ii) दिनांक 4.3.2012 से न्यास द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या: 9 में सराये के किराये में बढ़ौतरी कर दी गई थी, परन्तु इसके पश्चात भी कई मामलों में नई दरों पर वसूली न करके पुरानी दरों पर ही वसूली की गई है।
- (iii) जिन व्यक्तियों द्वारा दिनांक 4.3.2012 से पहले सराय की अग्रिम बुकिंग करवाई गई थी, उनसे नई संशोधित दरों पर वसूली न करके पुरानी दरों पर ही वसूली की गई।
- (iv) कई मामलों में प्रार्थी द्वारा जिन दिनों की सराय की बुकिंग हेतु आवेदन किया गया व तदानुसार उन्हें अग्रिम बुकिंग प्रदान की गई परन्तु सराय बुकिंग रजिस्टर में बुकिंग वाले दिनों से कम बुकिंग दर्शा कर कम किराये की वसूली की गई है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 223, दिनांक 25.2.2016 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास से इस विषय बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई

उत्तर नहीं दिया गया। अतः निम्न दर्शाए गए किराये की कम वसूली सम्बन्धित मामलों में प्रत्येक मामले की जांच करके कम की गई वसूली को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित माध्यम से इसकी वसूली करके तथा भविष्य में भी नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए। कम की गई वसूलियों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम	बुकिंग जो प्रदान की गई व नियमानुसार बुकिंग की राशि	वसूल की गई राशि	कम वसूल की गई राशि
1	श्री निका राम ग्रा० करेला	दिनांक 10.10.2010 को दो हॉल ₹5000 प्रति हॉल ₹10,000 दिनांक 11.10.2010 को रिसपैन हॉल ₹25,000	दिनांक 10.10.2010 का दो हॉल का किराया ₹10,000	25,000
2	श्री सोहन सिंह ग्राम बेरली घाट जुब्बल	दिनांक 18.7.2010 को एक हॉल ₹5000 दिनांक 19.7.2010 को पूरी सराय ₹35,000	दिनांक 19.7.2010 का एक दिन का पूरी सराय का किराया ₹35,000	5,000
3	श्री हेम चन्द पाल गांव खेडा	दिनांक 30 व 31.5.2010 को एक हॉल ₹10,000	दिनांक 30.5.2010 का किराया ₹5,000 दिनांक 31.5.2010 का किराया ₹1,932	3,068
4	आशा देवी	दिनांक 5.6.2010 को एक हॉल = ₹5,000	घण्टों के आधार पर दिनांक 5.6.2010 को ₹3,875	1,125
5	श्री पुर्ण ठाकुर ग्रा० निरमण्ड	18.7.2010 को एक हॉल ₹5,000 19.7.2010 को बड़ा हॉल ₹25,000	18.7.2010 का किराया ₹5,000 19.7.2010 का किराया ₹12,500	12,500
6	श्री दलीप सिंह	20.7.22010 को एक हॉल ₹5,000 21.7.2010 को एक हॉल ₹5,000	20.7.2010 का किराया ₹5,000 21.7.2010 का किराया ₹1,610	3,390
7	श्री कलश राम चौहान	1.12.2010 को एक हॉल ₹5,000 2.12.2010 को बड़ा हॉल ₹25,000	1.12.2010 का किराया ₹5,000 2.12.2010 का किराया ₹12,500	12,500
8	श्री ब्रह्मानन्द शर्मा	20.9.2010 को बड़ा हॉल ₹25,000	20.9.2010 का आधे दिना का किराया ₹12,500	12,500
9	श्री जयदेव खीमटा	11.11.2010 को एक हॉल ₹5,000 12.11.2010 को बड़ा हॉल ₹25,000	11.11.2210 का किराया ₹5,000 12.11.22010 का किराया ₹12,500	12,500
10	श्री कुलदेव सिंह	11.11.2010 को एक हॉल ₹5,000 12.11.2010 को एक हॉल ₹5,000	11.11.2010 का किराया ₹5,000	5,000

11	श्री प्रताप राणा	30.11.2010 को एक हॉल ₹5,000 1.12.2010 को बड़ा हॉल ₹25,000	30.11.2010 का किराया ₹5,000 1.12.2010 का किराया ₹12,500	12,500
12	श्री जोद राम	5.5.2011 एक हॉल का किराया ₹5,000 6.5.2011 बड़े हॉल का किराया ₹25,000	5.5.2011 का किराया ₹5,000 6.5.2011 का किराया ₹12,500	12,500
13	श्री शशी भुशण	20.11.2010 को एक हॉल ₹5,000 21.11.2010 को एक हॉल ₹5,000	20.12.2010 का किराया ₹3,575 21.11.2010 का किराया ₹5,000	1,425
14	श्री इन्द्र सिंह	19.6.2011 को दो हॉल ₹10,000 20.6.2011 को दो हॉल व बड़ा हॉल ₹35,000	19.6.2011 का किराया ₹10,000 20.6.2011 का किराया ₹12,500	22,500
15	श्री महेन्द्र मस्ताना	14.5.2011 को दो हॉल ₹10,000 15.5.2011 को दो हॉल ₹10,000	14.5.2011 का किराया ₹10,000	10,000
16	श्री राजिन्द्र कुमार	25.6.2011 को एक हॉल ₹5,000 26.6.2011 को बड़ा हॉल ₹25,000	25.6.2011 का किराया ₹5,000 26.6.2011 को किराया ₹12,500	12,500
17	श्री शमशेर मैहता	31.10.2012 को दो हॉल ₹20,000 1.11.2012 को पूरी सराय ₹40,000	31.10.2012 का किराया ₹10,000 1.11.2012 का किराया ₹35,000	15,000
18	श्री महिन्द्र सिंह	6.11.2012 को एक मंजिल ₹10,000 7.11.2012 को पूरी सराय ₹40,000	6.11.2012 का किराया ₹5,000 7.11.2012 का किराया ₹35,000	10,000
19	श्री रामेश्वर छाज़टा	28.10.2012 को दो मंजिल ₹20,000 29.10.2012 को एक मंजिल व रिसैपशन हॉल ₹35,000	28.10.2012 का किराया ₹10,000 29.10.2012 का किराया ₹17,500	27,500
20	श्री शमशेर सिंह	31.10.2012 को दो मन्जिल ₹20,000 1.11.2012 को पूरी सराय ₹40,000	31.10.2012 का किराया ₹10,000 1.11.2012 का किराया ₹35,000	15,000
21	गुडडी पनाटु	22.10.2012 को पूरी सराय ₹40,000	22.10.2012 का किराया ₹35,000	5,000
22	नितिन सांवत	25.10.2012 व 26.10.2012 पूरी सराय ₹80,000 (नोट :- अपने प्रार्थना का मैं श्री नितिन सांवत द्वारा पहले 25.10.2012 की पूर्ण सराय तथा 26.10.2012 को एक मन्दिर की मांग की थी, फिर काट कर दोनों दिन पूर्ण सराय की बुकिंग करवाई गई परन्तु उनसे 25.10.2012 का कोई शुल्क नहीं वसूला गया)	26.10.2012 का किराया ₹35,000	45,000
23	डा० हंस राज शर्मा, ग्राम बटाड़ी	10.7.2011 व 11.7.2011 को तीनों मन्जिलें ₹35,000 x 2 = ₹70,000	10.7.2011 का किराया ₹35,000	35,000

24	श्री सुरेन्द्र कुमार	7.11.2011 को रिसैपशन हॉल ₹25,000	7.1.2011 का किराया ₹12,500	12,500
25	माँ हाटेश्वरी प्राईवेट स्कूल एसोसियेशन	18.10.2011 व 19.10.2011 को सराय हॉल 2 दिन ₹10,000	18.10.2011 का किराया ₹5,000	5,000
26	श्री मस्त राम शर्मा	10 व 11.3.2012 को एक मन्जिल ₹10,000	10.3.2012 का किराया ₹5,000	5,000
27	श्री चन्दन ठाकुर	24.4.2012 का किराया ₹10,000	24.4.2012 का किराया ₹5,000	5,000
28	श्री महानन्द चौहान	26.4.2012 को पूरी सराय ₹40,000	26.4.2012 का किराया ₹35,000	5,000
29	श्री राकेश चौहान	29.4.2012 को पूरी सराय ₹40,000	29.4.2012 का किराया ₹35,000	5,000
30	श्री रोशन चौहान	16.6.2012 को पूरी सराय ₹40,000	16.6.2012 का किराया ₹35,000	5,000
31	श्री हुमानन्द ठाकुर	24.6.2012 व 25.6.2012 को पूरी सराय ₹80,000	24.6.2012 का किराया ₹35,000	45,000
32	श्री सुरेश नागटा	26.6.2012 का पूरी सराय का किराया ₹40,000	26.6.2012 का किराया ₹35,000	5,000
33	श्री सिद्धार्थ ठाकुर	27.6.2012 को पूरी सराय ₹40,000	27.6.2012 का किराया ₹35,000	5,000
34	श्री केशव राम नेगी	30.6.2012 को एक हॉल ₹10,000	30.6.2012 का किराया ₹5,000	5,000
35	श्री भोपिन्द्र सिंह पान्टा	5 व 6.7.2012 को पूरी सराय ₹80,000	5 व 6.7.2012 का किराया ₹70,000	10,000
36	बेली राम रावत	2.8.2012 को पूरी सराय ₹40,000	2.8.2012 का किराया ₹35,000	5,000
37	जवाहर लाल शर्मा	4.8.2012 को एक मन्जिल का किराया ₹10,000	4.8.2012 का किराया ₹5,000	5,000
38	श्री दिनेश शर्मा	5.8.2012 को दो मन्जिल का किराया ₹20,000	5.8.2012 का दो मन्जिल का किराया ₹10,000	10,000
39	श्री सोहन सिंह	15.8.2012 को पूरी सराय ₹40,000	15.8.2012 का किराया दिन-दिन रिसैपशन हॉल ₹12,500 दो हॉल ₹10,000 ₹22,500	17,500
40	श्री सुभाश पीरटा	31.10.2013 का रिसैपशन हॉल ₹25,000 दिन-दिन	31.10.2013 का किराया ₹12,500	12,500
41	श्री भवनी दत्त शर्मा	10.11.2013 को रिसैपशन हॉल दिन-दिन ₹25,000 (प्रार्थी की केवल 9.11.2013 को पूरी सराय बुकिंग दर्शाई गई)	10.11.2013 का किराया शून्य	25,000

42	श्री सुरिन्द्र हन्सरौटा	19.11.2013 को एक मन्जिल ₹10,000 20.11.2013 को पूरी सराय ₹40,000	19.11.2013 को एक मन्जिल का किराया ₹10,000	40,000
43	श्री चतर सिंह पान्टा	23.9.2012 व 24.9.2012 सम्पूर्ण सराय ₹40,000 x 2 = 80,000	23 व 24.2.2012 का किराया ₹70,000	10,000
44	श्री पुष्प राज शर्मा	25.9.2012 को 2 मन्जिल ₹20,000 रिसैपशन हॉल दिन-दिन ₹25,000	25.9.2012 को ₹10,000 व रिसैपशन हॉल का किराया ₹12,500	10,000 12,500
45	श्री जोगिन्द्र झाझटा स्थानीय ग्राम प्रधान	16.11.2012 को दूसरी मन्जिल ₹10,000 17.11.2012 को सम्पूर्ण सराय ₹40,000 (प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में बिना हस्ताक्षर व कारण बताए यह नोट दिया गया कि इस बुकिंग के स्थान पर पहली मन्जिल के 11 कमरे)	17.11.2012 को एक मन्जिल ₹10,000	40,000
46	श्री गोबिन्द पनाटु	18.11.2012 की दो मन्जिल ₹20,000	18.11.2012 का दो मन्जिल किराया ₹10,000	10,000
47	श्री भगवान सिंह खिमटा	22 व 23.11.2012 को सम्पूर्ण सराय 2 x 40,000 = ₹80,000	23.11.2012 का रिसैपशन हॉल ₹25,000 2 मन्जिल ₹10,000 = ₹35,000	45,000
48	श्री कलम सिंह डिल्टा	23.1.2013 बड़ा हॉल दिन-दिन ₹25,000	23.1.2013 का किराया ₹12,500	12,500
49	श्री केवल राम शर्मा	12.5.2013 को एक मन्जिल ₹10,000 13.5.2013 को एक मन्जिल व हॉल ₹35,000	13.5.2013 का किराया ₹35,000	10,000

कम वसूल की गई राशि 6,94,008

(ख) श्री जय चन्द चौहान की जमा प्रतिभूति की ₹5,000 को जब्त न किया जाना

श्री जय चन्द चौहान, निवासी गांव गलु-हाटकोटी द्वारा अपने पुत्र की शादी हेतु दिनांक 24, 25 व 26 नवम्बर 2012 को पूरी सराय की बुकिंग करवाई गई तथा इस हेतु अग्रिम ₹5,000 रसीद संख्या: 716, दिनांक 16.7.2012 द्वारा जमा करवाई गई। जांच में पाया गया कि श्री जय चन्द द्वारा दिनांक 24, 25 व 26 नवम्बर को सराय में शादी न करके दिनांक 6.12.2012 व 7.12.2012 को सराय में शादी की गई। इस प्रकार उनके द्वारा दिनांक 24 नवम्बर से 26 नवम्बर तक सराय प्रयोग न करने कारण उनकी जमा अग्रिम राशि का जब्त किया जाना अपेक्षित था, परन्तु उनकी अग्रिम राशि को जब्त न करके इसको माह दिसम्बर में उनके द्वारा किए गए भुगतान में समायोजन कर दिया गया, जोकि नियमानुसार नहीं किया जा सकता था। अतः न्यास

द्वारा की गई कार्रवाई को उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना में आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) देय किराये की अपेक्षा ₹4,475 की कम वसूली करने बारे

अभिलेख की जांच में पाया गया कि निम्न वर्णित मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों से नियमानुसार देय किराये से कम किराये की वसूली की गई है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस राशि की उचित स्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

- (i) रसीद संख्या: 1854, दिनांक 24.9.2014 के अन्तर्गत श्री अभिलेख (बनारस वासी) से मेलों के दौरान स्टॉल नम्बर 111 से 123 के 13 स्टालों के स्थान पर केवल 12 स्टालों की ₹800 प्रति स्टाल के दर से ₹9600 की वसूली की गई। इस प्रकार उनसे ₹800 की कम वसूली की गई।
- (ii) रसीद संख्या: 1858, दिनांक 24.9.2014 के अन्तर्गत स्टॉल संख्या: 134 से 137 के 4 स्टालों की ₹3200 के स्थान पर केवल ₹3000 की वसूली की गई। इस प्रकार ₹200 की कम वसूली की गई।
- (iii) रसीद संख्या 1860, दिनांक 24.9.2014 में स्टॉल संख्या: 48 व 50 के किराये की ₹1600 के स्थान पर केवल ₹1000 की वसूली की गई। इस प्रकार ₹600 की कम वसूली की गई।
- (iv) रसीद संख्या: 1865, दिनांक 26.9.2014 के अन्तर्गत श्री ईस्लाम (सहारनपुर वासी) से स्टॉल संख्या: 138 से 143 के 6 स्टॉलों की ₹4800 के स्थान पर केवल ₹3000 की वसूली की गई। इस प्रकार उनसे ₹1800 की कम वसूली की गई।
- (v) जांच में पाया गया कि माह सितम्बर 2014 में मेलों के दौरान स्टॉल नम्बर 54 के किराया की ₹800 की वसूली नहीं की गई है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।
- (vi) रसीद संख्या: 697, दिनांक 15.10.2011 के अन्तर्गत श्री पवन कुमार से एक साधारण कमरे से किराये की ₹75 की वसूली की गई जबकि रजिस्टर में यह वसूली पृष्ठ संख्या: 188 के क्रम संख्या 131 पर श्री विनोद प्रशाद पुत्र महिमानन्द से की गई दर्शाई गई है। इस प्रकार श्री विनोद प्रशाद से प्राप्त ₹75 के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह राशि न्यास के खाते से जमा करवाई जाए।
- (vii) रसीद संख्या: 3820, दिनांक 20.10.2012 के अन्तर्गत सराय रजिस्टर के पृष्ठ 23 पर क्रम संख्या: 62 पर इन्द्राज करके श्री फरमान से कमरा संख्या 207 में ठहरने हेतु किराया की ₹150 के स्थान पर केवल ₹75 की वसूली की गई, अर्थात् ₹75 की कम वसूली की गई।

- (viii) रसीद संख्या: 8963, दिनांक 1.10.2014 तथा रसीद संख्या: 8983, दिनांक 2.10.2014 के अन्तर्गत श्रीमती शीला देवी व श्रीमती रेखा देवी से प्रतिदिन 2 बिस्तर के लिए शुल्क की ₹50 के स्थान पर केवल ₹25 की वसूली की गई। इस प्रकार उनसे कुल ₹50 की कम वसूली की गई।
- (ix) दिनांक 22.2.2010 को रजिस्टर के पृष्ठ संख्या: 37 पर प्रविष्टि संख्या 65 के अन्तर्गत श्री सतीश कुमार पुत्र मिलखी राम से एक डीलक्स तथा दो साधारण कमरों के किराया की ₹300, रसीद संख्या: 60 द्वारा वसूल की गई। श्री सतीश कुमार द्वारा अपना ठहराव एक दिन (दिनांक 23.2.2010) और बढ़ा दिया गया, परन्तु उस हेतु उनसे किराये की वसूली नहीं की गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा ₹300 की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।
- (x) बिल संख्या 584, दिनांक 2.10.2011 के अन्तर्गत श्री सन्त राम से एक डीलक्स व एक साधारण कमरे के दो दिनों (दिनांक 2.10.2011 व 3.10.2011) के ठहराव के लिए (₹125 + ₹75 कुल = ₹225 प्रति दिन की दर से) किराये की ₹450 के स्थान पर केवल ₹375 की वसूली की गई। इस प्रकार उनसे ₹75 की कम वसूली की गई, जिसकी उचित स्रोत से वसूली की जाए।
- (घ) न्यास द्वारा ₹1105 की वसूली करने के उपरान्त इसे मन्दिर कोष में जमा न करवाया जाना**
- (i) अभिलेख की जांच में पाया गया कि कम्बल किराया रजिस्टर के पृष्ठ—111 व 112 पर दिनांक 19.10.2011 से 30.10.2011 के दौरान वसूली गई ₹935 को न्यास कोष में नहीं जमा करवाया गया।
- (ii) कम्बल किराया रजिस्टर के पृष्ठ 157 पर प्रविष्टि संख्या: 22 के अनुसार दिनांक 22.10.2012 को वसूली गई ₹20 को न्यास कोष में जमा नहीं करवाया गया।
- (iii) रसीद संख्या: 514, दिनांक 26.9.2011 के अन्तर्गत श्री रविन्द्र मैहता से दिनांक 26.9.11 तथा 27.9.2011 को सराय में ठहरने पर किराया की ₹300 की वसूली की गई, परन्तु सराय बुकिंग रजिस्टर के पृष्ठ 173 के क्रम संख्या: 78 पर केवल 1 दिन अर्थात् दिनांक 26.9.2011 का ठहराव दर्शा कर न्यास कोष में केवल ₹150 जमा करवाई गई।

इस विषय को न्यास अधिकारियों के ध्यान में लाने के उपरान्त न्यास द्वारा रसीद संख्या 8 दिनांक 16.2.2016 के अन्तर्गत उक्त राशि को जमा करवा दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुर्नावृत्ति रोकने हेतु आन्तरिक जांच प्रणाली को सृदृढ़ किया जाए।

(इ) न्यास द्वारा संचालित सराय के अभिलेख के रख-रखाव बारे

न्यास द्वारा संचालित सराय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में कई अत्यन्त गम्भीर अनियमितताएँ पाई गई जिन्हें अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 159 व 160 दिनांक 4.12.2015 द्वारा अध्यक्ष, मन्दिर न्यास के संज्ञान में लाया गया, जिसके सन्दर्भ में मन्दिर न्यास द्वारा पत्र संख्या: मन्दिर/अंकेक्षण/04/15-16, दिनांक 14.1.2016 द्वारा अंकेक्षण में उठाई गई आपत्तियों पर सहमति जताते हुए भविष्य में इनमें सुधार करने का तथा न्यास की बैठक में चर्चा के उपरान्त अविलम्ब प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार पाई गई आपत्तियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

- (i) सराय के कमरों की बुकिंग रजिस्टर की जांच में पाया गया कि रजिस्टर में इन्द्राज जिस दिन यात्री सराय में आता है उस दिन न करके जिस दिन सराय छोड़ कर जाता है, उस दिन किया जाता है। उदाहरण के रूप में सराये के कमरे की बुकिंग रजिस्टर के पृष्ठ संख्या: 47 के क्रम संख्या: 77 पर दिनांक 5.3.2010 से 11.3.2010 तक के ठहराव का इन्द्राज किया गया है जबकि क्रम संख्या: 76 पर दिनांक 11.3.2010 का इन्द्राज है। वर्ष 2013-14 के रजिस्टर के पृष्ठ 42 पर प्रविष्टि संख्या: 25 पर दिनांक 1.10.2013 व 2.10.2013 के ठहराव का इन्द्राज किया गया है, जबकि प्रविष्टि संख्या 18 से 24 पर दिनांक 2.10.2013 के ठहराव के लिए इन्द्राज किया गया है।
- (ii) वर्ष 2013-14 में सराय के रजिस्टर के पृष्ठ संख्या: 51 पर प्रविष्टि संख्या: 138 के अनुसार श्री विरेन्द्र से वी0आई0पी0 रुम नम्बर 1 के लिए दिनांक 8.10.2013 से 13.10.2013 के लिए 6 दिन का किराये की ₹1500 प्रति दिन की दर पर कुल ₹9000 वसूली की गई दर्शाई गई, जिसमें न तो श्री विरेन्द्र के हस्ताक्षर हैं और न ही सराय छोड़ कर जाने का समय दर्शाया गया है, जबकि उक्त रजिस्टर की प्रविष्टि संख्या: 136, 137 दिनांक 14.10.2013 से सम्बन्धित है। अतः प्रविष्टि संख्या: 138 का दिनांक 13.10.2013 का दर्शाया जाना अनियमित है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 14.10.2013 के किराए की ₹1500 जमा न करवाकर रजिस्टर में दिनांक 14.10.2013 के पश्चात 13.10.2013 का इन्द्राज लिया गया, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में जांच के उपरान्त उचित कार्रवाई अमल में लाते हुए व किराया की राशि की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

उपरोक्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट हो जाता कि बुकिंग रजिस्टर में इन्द्राज जिस दिन यात्री सराय छोड़ कर जाते हैं उस दिन किया जाता है जो अनियमित है क्योंकि उपरोक्त प्रक्रिया से किसी भी हालत में यह सुनिश्चित/प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि सराय में ठहरे प्रत्येक यात्री का इन्द्राज कर लिया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता को नकारने हेतु जिस दिन यात्री ठहरता है उसी दिन इन्द्राज करके कमरे का आबन्तन किया जाए तथा तदनुसार किराये की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(च) अभिलेख की जांच में पाया गया कि सराय की अग्रिम बुकिंग हेतु वसूली गई राशि को वापिस करने से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं रखा गया है अर्थात् सम्बन्धित व्यक्ति से राशि को वापिस प्राप्ति की कोई रसीद प्राप्त नहीं की जाती है, जिसकी अनुपलब्धता में किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में सम्बन्धित व्यक्तियों से रसीद प्राप्त न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में नियमानुसार पावती प्राप्त कर ही प्रत्येक वापिस की जाने वाली राशि का भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) सराय में ठहराव हेतु तर्क संगत किराये की वसूली न करने बारे

न्यास द्वारा सराय के कमरों का किराया तर्कसंगत निर्धारित नहीं किया गया प्रतीत होता है। न्यास द्वारा साधारण कमरे का किराया केवल ₹100 निर्धारित किया गया है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कमरे में कितने व्यक्ति ठहर सकते हैं। जांच में पाया गया कि कई बार एक कमरे में 3-3 व्यक्ति ठहरने हैं। इस प्रकार प्रति व्यक्ति यह किराया केवल ₹33 ही बनता है वहीं दूसरी तरफ न्यास द्वारा भूमि पर सोने हेतु बिस्तर भी किराये पर दिए जाते हैं जिसमें एक दरी, 2 कम्बल व एक सिहराना/तकिया दिया जाता है जिसका किराया ₹25 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार जो व्यक्ति इक्ठो होकर एक कमरे में ठहरते हैं तो उनसे भी लगभग उसी दर से किराया वसूल किया जा रहा है जिस दर अन्य व्यक्तियों से किराया लिया जाता है जोकि विस्तर लेकर भूमि पर सोते हैं। अंकेशन के दौरान यह भी पाया गया कि यदि शादी-विवाह हेतु बुकिंग से प्राप्त किराये को निकाल दिया जाए तो सराय से प्रति माह औसतन 30-35 हजार रुपये की आय ही प्राप्त होती है जबकि इसके रख-रखाव हेतु तैनात 4 व्यक्तियों के वेतन पर प्रतिमाह लगभग 23 हजार रुपये व विद्युत बिल पर लगभग 10 हजार रुपये व्यय किए जा रहे हैं। अतः परामर्श दिया जाता है कि सराय के किराये का पुनः निर्धारण करके उसे तर्क संगत बनाया जाए ताकि न्यास की आय में वृद्धि सम्भव हो सके।

(ज) सराय कन्टीन में ठेकेदार को बिजली व पानी की मुफ्त सुविधा प्रदान किया जाना

न्यास द्वारा सराय में स्थित कन्टीन प्रत्येक वर्ष ठेके पर चलाने हेतु ही जाती है। अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा कन्टीन में मुफ्त बिजली व पानी भी प्रदान की जा रही है, जोकि उचित प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि ठेके पर कन्टीन की बोली की शर्तों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः इन सुविधाओं के एवज़ में शुल्क वसूली न करने का कारण स्पष्ट किए जाये व जिन आदेशों के अन्तर्गत यह मुफ्त सुविधा प्रदान की जा रही है उन्हें दर्शा कर की गई कार्रवाई को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त सुविधा हेतु अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति करके अनुपालना से आगामी अंकेशन को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब कन्टीन के लिए अलग बिजली तथा पानी का मीटर लगवा कर बिल की अदायगी कन्टीन ठेकेदार द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाए।

18 भूमि अधिग्रहण के एवज़ में प्राप्त ₹10,07,649 के सन्दर्भ में

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ठियोग रोहडू द्वारा सड़क का डबल लेन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मन्दिर न्यास की अधिग्रहित भूमि के एवज़ में दिनांक 19.3.2010 को कुल ₹10,07,649 का मुआवजा प्रदान किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: LAD (Audit) 2015-16/184, दिनांक 24.12.2015 द्वारा अध्यक्ष, मन्दिर न्यास से यह स्पष्ट करने का निवेदन किया गया था कि इस अधिग्रहण में मन्दिर न्यास की कितनी भूमि अधिग्रहित की गई, मुआवजा राशि का क्या आधार था तथा क्या न्यास द्वारा प्राप्त मुआवजा राशि को उचित माना गया है, जिसके उत्तर में अध्यक्ष, मन्दिर न्यास द्वारा अपने पत्र संख्या मन्दिर/अंकेक्षण/04/15-16, दिनांक 14.1.2016 द्वारा सूचित किया गया कि इस मामले से सम्बन्धित सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए भू-अधिग्रहण अधिकारी लोक निर्माण विभाग, विंटर फिल्ड शिमला से पत्राचार किया गया है तथा यदि मुआवजा कम पाया गया तो इस सन्दर्भ में आपत्ति दर्ज की जाएगी। उपरोक्त उत्तर से स्वतः स्पष्ट होता है कि न्यास को यह मालूम नहीं है कि इस प्रकरण में मन्दिर की कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है तथा प्राप्त मुआवजा राशि उचित है अथवा नहीं? अतः यह मामला आयुक्त, मन्दिर न्यास के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में राजस्व विभाग से व अन्य स्त्रोतों से अधिग्रहित भूमि की गणना करवाकर प्राप्त मुआवजा राशि को नियमानुसार निर्धारित दरों के आधार पर उचित ठहराया जाए तथा की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना

मन्दिर न्यास द्वारा अपनी चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किए गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 6 के अनुसार उक्त अभिलेख का तैयार किए जाने अपेक्षित थे। इस विषय को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 25 में भी उठाया गया था परन्तु 6 वर्ष बीत जाने पर भी इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है जोकि एक चिन्तनीय विषय है। अतः यह मामला आयुक्त, मन्दिर न्यास के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में वांछित कार्रवाई अमल में लाकर तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार करवाकर की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

20 न्यास द्वारा विभिन्न न्यायालयों से लम्बित मामलों से सम्बन्धित अभिलेख न रखना

न्यास द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं रखे गया है। अध्यक्ष, मन्दिर न्यास से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 171, दिनांक 8.12.2015 द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों से सम्बन्धित सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या: 4, दिनांक 2.2.2016 द्वारा अंकेक्षण को

सूचित किया गया कि मन्दिर न्यास की ओर से केवल श्री कली राम के खिलाफ मन्दिर की भूमि पर कब्जे को एक मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि सराय कंटीन के किराये सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि श्री सीता राम के विरुद्ध भी एक केस सब जज कोर्ट जुबल में किराया की ₹65,470 की वसूली हेतु लम्बित है, जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि न्यास द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों से सम्बन्धित कोई अलग अभिलेख नहीं रखे गए हैं, जिससे पता चल सके कि कुल कितने मामले लम्बित हैं तथा समय-समय पर उनकी क्या स्थिति है। अतः महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा अविलम्ब वांछित अभिलेख तैयार करके तथा प्रत्येक केस का उससे इन्द्राज लेकर, की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि हर पेशी पर समस्त मामलों की पैरवी भी की जा सके।

21 मन्दिर न्यास द्वारा अति गरीब, बेसहारा, दीन दुखियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अध्यक्ष एवं सचिव मन्दिर न्यास को प्रदान की गई शक्तियों के बारे में

(क) मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 4.10.2010 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में मद संख्या: 11 के अन्तर्गत अति गरीब, बेसहारा, बीमार व दीन दुखियों को सहायता प्रदान करने हेतु अध्यक्ष एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) रोहडू को वर्ष में 1 लाख रुपये तक, सचिव व तहसीलदार जुबल, मन्दिर न्यास को ₹25,000 तक व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई। मन्दिर न्यास द्वारा इस निर्णय को न तो आयुक्त मन्दिर से अनुमोदित करवाया गया और न ही उनमें इस सन्दर्भ में कोई आदेश प्राप्त किए गए जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में अध्यक्ष मन्दिर न्यास व सचिव मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई राशियों का विवरण निम्नलिखित है।

(1) अध्यक्ष एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0) रोहडू

क्रम संख्या	दिनांक	प्रदान की गई राशि	राशि के समायोजन का विवरण
1)	2.11.2010	40,000	राशियों के कोई व्यय वाऊचर/समायोजन वाऊचर प्रस्तुत नहीं किए गए।
2	25.8.2011	50,000	

(2) सचिव एवं तहसीलदार जुबल

1	2.11.2010	10,000	माह 5/2011 में ₹1740 के व्यय वाऊचर प्रस्तुत किए गए तथा दिनांक 20.2.2013 को ₹8,260 वापिस जमा करवाई गई।
---	-----------	--------	---

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्यक्ष, मन्दिर एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0) रोहडू द्वारा प्रदान की गई राशियों के व्यय वाऊचर देकर उनका समायोजन नहीं करवाया गया है जिसे प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए।

(ग) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अध्यक्ष मन्दिर न्यास एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0) रोहडू को वर्ष 2008-09 व 2009-10 में लैज़र के पृष्ठ संख्या 34 के अनुसार प्रदान की गई राशियाँ 20-20 हजार रुपये अर्थात् कुल 40,000 रुपये का समायोजन वर्तमान अवधि अर्थात् लगभग 6-7 वर्ष बीत जाने पर भी नहीं किया गया है जोकि अनियमित है। इसी प्रकार कैश बुक के पृष्ठ-15, लैज़र के पृष्ठ-31 के अनुसार दिनांक 28.6.2002 को प्रदान की गई ₹10,000 जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/1995 से 12/2003 के पैरा-19 में भी आपति उठाई गई है, का समायोजन भी अभी तक नहीं किया गया है। अतः कुल ₹50,000 के समायोजन वाऊचर अविलम्ब प्राप्त करके तथा उक्त राशि के समायोजन करके की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

22 विधुत विभाग द्वारा खाता संख्या: SYSL-1 के अन्तर्गत गलत प्राप्त की गई ₹2 लाख के सन्दर्भ में

अभिलेख की जांच में पाया गया कि विधुत विभाग द्वारा खाता संख्या: SYSL-1 के विधुत प्रभार बिल में, प्रभार के अतिरिक्त ₹1500 रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूल किए जा रहे थे, परन्तु न्यास द्वारा पूरा रख-रखाव स्वयं किया जाता है। अतः अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 168, दिनांक 8.12.2015 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास से इस भुगतान को उचित ठहराने के लिए कहा गया। अध्यक्ष द्वारा यह मामला विधुत विभाग से उठाया गया तथा प्राप्त भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराने हेतु कहा गया जिसकी अनुपालना में विधुत विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या: HPSEBL/ESDSN/CS-3/2015-16-1031, दिनांक 20.1.2016 द्वारा यह सूचित किया गया कि यह भुगतान एक गलत मांग के कारण किया गया था जिससे बोर्ड के नियमानुसार वापिस कर दिया जाएगा। क्योंकि न्यास द्वारा अप्रैल 2005 से इस भुगतान को किया जा रहा है, अतः विधुत बोर्ड द्वारा माह दिसम्बर 2015 से इस राशि की मांग बंद करने पर प्राप्त गलत/अधिक भुगतान का समायोजन आरम्भ कर दिया गया है। अतः पिछले 10 वर्ष 8 माह में न्यास द्वारा लगभग ₹2 लाख के रख-रखाव प्रभार के रूप में भुगतान किए गए हैं। इस राशि के पूर्ण समायोजन के उपरान्त की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए, तथा यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के सभी भुगतान करने से पूर्व उनकी पूर्ण रूप में जांच की जाए तथा नियमानुसार उचित ठहराने के उपरान्त ही भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 मन्दिर न्यास द्वारा खाता संख्या SYND15000001 में औसत के आधार पर भुगतान करने बारे

अभिलेख की जांच में पाया गया कि खाता संख्या: SYND15000001 में दिनांक 27.1.2011 से 23.9.2013 के दौरान भुगतान किए गए तथा समस्त बिल औसत के आधार पर की गई मांग के अनुसार जारी किए गए थे। इस प्रकार औसत के आधार पर किए गए भुगतान बिलों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र०सं०	बिल सं०	तिथि	जितने माह की मांग की गई	भुगतान की गई राशि
1	121	25.5.2011	4 माह	1,073
2	214	27.7.2011	2 माह	1,105
3	308	23.9.2011	2 माह	1,103
4	453	24.11.2011	2 माह	1,111
5	570	23.1.2012	2 माह	1,111
6	649	23.3.2012	2 माह	1,111
7	91	25.5.2012	2 माह	1,134
8	145	16.6.2012	1 माह	1,111
9	196	24.7.2012	1 माह	1,111
10	270	22.9.2012	2 माह	1,111
11	348	23.11.2012	2 माह	1,111
12	439	24.1.2013	2 माह	1,111
13	54	23.5.2013	4 माह	2,296
14	230	23.9.2013	4 माह	1,111

उक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट है कि विद्युत विभाग द्वारा मांग चाहे 1 माह की हो अथवा 4 माह की हो उसके लगभग एक सामान दर पर मांग की गई है, जबकि नियमानुसार औसत मांग का आधार गत वर्षों की मांग होती है। इस खाते में दिनांक 25.5.2011 से पहले (जब औसत के आधार पर मांग शुरू की गई) वास्तविक खपत के आधार पर की गई मांग व भुगतान हमेशा लगभग ₹200 से ₹300 के बीच में रहा है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	बिल सं०	दिनांक	अवधि	राशि
1	358	23.3.2010	2 माह	187
2	32	25.5.2010	2 माह	195
3	86	27.7.2010	2 माह	288
4	131	27.9.2010	2 माह	193
5	207	24.11.2010	2 माह	421
6	303	27.1.2011	2 माह	379

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट है कि समस्त बिलों की वास्तविक खपत हमेशा ₹300 के पास रही, जबकि विद्युत विभाग द्वारा औसत मांग में लगभग ₹1,111 की मांग व प्रति भुगतान में

उनके द्वारा लगभग ₹800 करके ज्यादा प्राप्त किए गए हैं। इस विषय को अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 215, दिनांक 15.2.2016 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास के ध्यान में लाया गया तथा किए गए भुगतान को उचित ठहराने हेतु कहा गया, परन्तु न्यास द्वारा इस सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः उक्त किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान की उचित स्रोत से प्रतिपूर्ति करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 निविदायें आमन्त्रित किए बिना ही सामान की खरीद का किया जाना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान की गई खरीद में कौडल औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई है। न्यास द्वारा की गई खरीद से पूर्व न तो निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं और न ही खरीद दर संविदा के आधार पर नहीं की गई है तथा न ही किसी भी खरीद में यह प्रमाणित किया गया है कि खरीद न्यूनतम दरों पर की गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2006 से 31.12.2009 के पैरा 14 में भी इस प्रकार की आपत्ति को प्रकाश में लाया गया था परन्तु फिर भी न्यास द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में जांच के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यास द्वारा की गई खरीद में उच्च दरों पर भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इन अनियमितताओं को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में सभी कौडल औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में परिशिष्ट-“ड” पर सम्बन्धित नियम अनुपालना हेतु साथ संलग्न किए जाते हैं।

25 कम्प्यूटर व फैंक्स मशीन की खरीद किए गए ₹48,750 के व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं

मन्दिर न्यास की दिनांक 19.3.2011 को हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या: 1 में लिए गए निर्णय की अनुपालना में न्यास द्वारा कम्प्यूटर व फैंक्स मशीन की खरीद करने पर कुल ₹48,750 का व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र०सं०	वा०सं०	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल सं०	सामान का विवरण	राशि
1	54 माह 4 / 2011	मै० कंवर कम्प्यूटर रोहडू	12 दिनांक 29.3.11	कम्प्यूटर	42,350
2	85 माह 4 / 2011	—यथोपरि—	18 दिनांक शून्य	फैंक्स मशीन	6,400

इस सामान की खरीद करने से पूर्व कौडल औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई तथा निविदाएं भी नहीं ली गई और न ही यह सत्यापित किया गया कि यह खरीद न्यूनतम दर पर की गई है।

इसके अतिरिक्त सामान की आपूर्ति करने हेतु कोई आदेश पत्र जारी नहीं किए गए। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत इन प्रकरणों में किसी प्रकार के अधिक भुगतान/उच्च दरों पर भुगतान को नकारा नहीं जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में जांच करके यह सुनिश्चित किया जाए कि यह खरीद उच्च दरों पर नहीं की गई हैं तथा भविष्य में सभी कौडल औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही सामान की खरीद की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि न्यास द्वारा क्रय किए गए कम्प्यूटर को प्रयोग में लाने हेतु मन्दिर न्यास के पास कोई कर्मचारी ही नहीं है, जोकि इसे प्रयोग में ला सके। फैंक्स मशीन के प्रयोग हेतु दूरभाष जरूरी है परन्तु वह भी फैंक्स मशीन के साथ नहीं लगाया गया है। उपरोक्त स्थिति में यह पूर्णतयः एक अनावश्यक खरीद की गई प्रतीत होती है तथा इस खरीद हेतु किया गया व्यय अनुपयोगी व्यय है। अतः की गई उक्त खरीद को उचित ठहराया जाए तथा भविष्य में केवल आवश्यक सामान की खरीद की जानी सुनिश्चित की जाए।

26 प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर दैनिकी देने के कारण ₹1,03,881 का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु दैनिक वेतन पर, मस्ट्रोल पर नियुक्त किए गए मिस्त्रीयों को प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से अधिक दरों पर भुगतान किया गया है। नियमानुसार मज़दूरों को दैनिकी का भुगतान समय-समय पर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही किया जा सकता है परन्तु न्यास द्वारा अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹1,03,881 की अधिक अदायगी की गई है। इस प्रकार अधिक दरों पर भुगतान करने के कारणों को स्पष्ट करने हेतु तथा इस भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 217, दिनांक 16.2.2016 द्वारा अध्यक्ष, मन्दिर न्यास से अनुरोध किया गया था, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः उच्च दरों पर किए गए भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान की उचित स्रोत से वसूली करके इसे न्यास कोष में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। अधिक भुगतान की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. No.	Vr. No.	Month	Period of Mustroll	No. of Messin on	Total No. of Days	Daily Paid per Day Rs.	Total Amount Paid	Daily Fixed by State Govt.	Amount to be payable as per Govt. Rates.	Amount Paid in Excess to Govt. Rates
1	89	Jun-10	1-6-10 to 30-6-10	4	19	250	19000	199	15124	3876
2	273	Nov-10	1-11-10 to 30-11-10	6	30	250	45000	217	39060	5940
3	74	Feb-11	9-2-11 to 18-2-11	2	4	250	2000	217	1736	264

4	75	Feb-11	1-2-11 to 7-2-11	1	6	250	1500	217	1302	198
5	75	Feb-11	1-2-11 to 7-2-11	1	5	250	1250	217	1085	165
6	76	Feb-11	1-10-10 to 31-10-10	6	31	250	46500	217	40362	6138
7	258	Aug-11	1-5-11 to 31-5-11	4	31	250	31000	217	26908	4092
8	259	Aug-11	1-6-11 to 30-6-11	5	30	250	37500	217	32550	4950
9	260	Aug-11	1-7-11 to 15-7-11	5	15	250	18750	217	16275	2475
10	267	Aug-11	1-5-11 to 31-5-11	4	31	250	31000	217	26908	4092
11	268	Aug-11	1-6-11 to 30-6-11	4	24	250	24000	217	20832	3168
12	327	Sep-11	1-8-11 to 28-8-11	2	28	250	14000	217	12152	1848
13	329	Sep-11	1-7-11 to 31-7-11	6	31	250	46500	217	40362	6138
14	331	Sep-11	1-8-11 to 31-8-11	6	31	250	46500	217	40362	6138
15	459	Nov-11	1-8-11 to 31-8-11	6	30	250	45000	217	39060	5940
16	460	Nov-11	1-9-11 to 30-9-11	5	30	250	37500	217	32550	4950
17	461	Nov-11	1-10-11 to 30-10-11	5	29	250	36250	217	31465	4785
18	464	Nov-11	1-11-11 to 30-11-11	3	30	250	22500	217	19530	2970
19	512	Dec-11	20-12-11 to 31-12-11	2	10	250	5000	217	4340	660
20	566	Feb-12	1-12-11 to 31-12-11	2	31	250	15500	217	13454	2046
21	567	Feb-12	1-1-12 to 31-1-12	3	25	250	18750	217	16275	2475
22	639	Mar-12	1-2-12 to 29-2-12	4	29	250	29000	217	25172	3828
23	666	Mar-12	1-2-12 to 16-2-12	3	15	250	11250	217	9765	1485
24	41	Apr-12	1-3-12 to 31-3-12	5	31	250	38750	217	33635	5115
25	81	Mar-12	1-4-12 to 30-4-12	6	30	250	45000	235	42300	2700
26	131	Jun-12	1-5-12 to 31-5-12	8	31	250	62000	235	58280	3720
27	176	Jul-12	1-6-12 to 30-6-12	5	30	250	37500	235	35250	2250
28	247	Sep-12	1-8-12 to 31-8-12	4	30	250	30000	235	28200	1800
29	222	Aug-12	1-7-12 to 31-7-12	5	31	250	38750	235	36425	2325
30	257	Sep-12	1-7-12 to 31-7-12	5	31	250	38750	235	36425	2325
31	258	Sep-12	1-8-12 to 31-8-12	5	31	250	38750	235	36425	2325
32	259	Sep-12	1-6-12 to 30-6-12	3	30	250	22500	235	21150	1350

27 किए गए कार्य का विवरण दिए बिना ही मस्ट्रोलों का भुगतान किया जाना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि निम्न वर्णित मस्ट्रोलों के अन्तर्गत मजदूरों को भुगतान करते समय उनके द्वारा माह में किए गए कार्य का विवरण मस्ट्रोल में नहीं दिया गया है और न ही कार्य प्रगति की राशि का किए गए भुगतान से मिलान किया गया है, जिसकी अनुपलब्धता में मजदूरों को किए गए भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 218, दिनांक 17.2.2016 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास से निवेदन किया था तथा मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विवरण देने बारे तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए तथा किसी भी प्रकार के अनुचित भुगतान की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का पूर्ण विवरण मस्ट्रोलों पर देने के उपरान्त ही भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अंकेक्षणाधीन अवधि में जिन मस्ट्रोलों के अन्तर्गत मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विवरण मस्ट्रोलों में नहीं दिया गया है, उनका विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	वा० सं०	मस्ट्रोल की अवधि	राशि	जिस कार्य हेतु मस्ट्रोल जारी किया गया
1	76 माह 2/2011	1.10.10 से 31.10.10	66960	कूडेदान का निर्माण
2	464 माह 10/2011	1.9.11 से 30.9.11	33300	फ्रूट पैकिंग हॉल का निर्माण
3	512 माह 12/2011	20.12.11 से 31.12.11	7880	लंगर भवन में पार्क साईड प्रौटैक्शन वाल
4	565 व 566 माह 1/2012	1.1.12 से 5.1.12	2520	लंगर भवन बैंक साईड बोल्डर फिलिंग
		1.12.11 से 31.12.11	75330	लंगर भवन बैंक साईड किवाड़ का कार्य
5	666 माह 2/2012	1.2.12 से 16.2.12	14340	लंगर भवन दिवार का कार्य
6	41 माह 4/2012	1.3.12 से 31.3.12	57350	लंगर भवन में सोलिंग कार्य
7	131 माह 6/2012		80600	लंगर भवन में फ्रूट साईड दिवार

	132 माह 6/2012	1.5.12 से 31.5.12	43920	दिवार व कॉलम कास्ट
	133 माह 6/2012		29760	दिवार व कॉलम कास्ट
8	177 माह 7/2012	2.6.12 से 27.6.12	13200	पैदल मार्ग का काम
9	321 माह 12/2013	1.11.13 से 30.11.13	26100	लंगर भवन में मैसनरी का कार्य
	347 माह 1/2014	1.12.13 से 31.12.13	24800	
	348 माह 1/2014	1.12.13 से 31.12.13	22000	
10	382 माह 2/2014	1.1.14 से 31.1.14	45000	लंगर भवन बिनाई कार्य
11	405 माह 3/2014	1.2.14 से 28.2.14	32400	लंगर भवन बिनाई कार्य
12	95 माह 7/2014	1.6.14 से 30.6.14	23750	लंगर भवन में बाहर से प्लासटर का कार्य
13	139 माह 8/2014	1.7.14 से 31.7.14	54000	लंगर भवन में बाहर से प्लासटर का कार्य
14	180 माह 9/2014	1.8.14 से 31.8.14	50250	लंगर भवन में बाहर से प्लासटर का कार्य

28 कौडल औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1,77,10,613 के निर्माण कार्यों का करवाया जाना

मन्दिर न्यास द्वारा परिशिष्ट-“च” पर दिए गए विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि में ₹1,77,10,613 के निर्माण कार्य करवाये गए, जिसमें मुख्यतः ₹1,37,53,611 का व्यय लंगर भवन के निर्माण पर, ₹10,93,530 का व्यय बाऊंडरी वॉल के निर्माण पर, ₹6,62,930 का व्यय ग्रेडिंग हॉल के निर्माण कार्य पर तथा ₹2,59,061 का व्यय लेबर हट बगीचा के निर्माण कार्य पर किया गया है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा उक्त परिशिष्ट के अनुसार अन्य छोटे-छोटे निर्माण कार्य भी करवाए गए हैं। जांच में पाया गया कि किसी भी कार्य के निष्पादन से पूर्व न तो उसका अनुमान पत्र बनाया गया, न ही सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई और न ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई। इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा नियमानुसार वांछित स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना ही कार्य निष्पादित करवा दिये गए जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जबकि इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी। अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2004 से 31.12.2005 के पैरा 22(1) में ₹7,58,873 तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2006 से 31.12.2009 के पैरा 18(क) में ₹1,90,36,829 के निर्माण कार्य भी बिना कौडल औपचारिकताएँ पूर्ण करने बारे आपत्ति उठाई गई थी। इस प्रकार अंकेक्षण द्वारा बार-बार आपत्ति उठाने पर भी मन्दिर न्यास द्वारा कोई कार्रवाई अमल में न लाना एक अनियमितता है तथा अनुमान तैयार किए बिना तथा वांछित स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना ही कार्य करवाने पर किए गए व्यय को उचित नहीं

ठहराया जा सकता है, क्योंकि मन्दिर न्यास के संशोधित अधिनियम 2007 में भी ₹50,000 से अधिक कार्यों की स्वीकृति मुख्य आयुक्त मन्दिर एवं सचिव, भाषा-संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राप्त की जानी अपेक्षित है, परन्तु न्यास द्वारा उक्त विवरणानुसार कार्य की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही निष्पादित करवा दिए गए हैं। अतः यह मामला उचित कार्यवाही हेतु आयुक्त मन्दिर न्यास के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इन प्रकरणों में नियमानुसार वांछित कार्रवाई अमल में लाकर तथा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके किए गए व्यय को नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार वांछित कौडल औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही कार्य का निष्पादन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 दर संविदा/निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ही लगभग ₹90 लाख की निर्माण सामग्री की खरीद करना

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निर्माण कार्यों हेतु लाखों रुपयों की निर्माण सामग्री खरीदी गई है परन्तु सामग्री के क्रय से पूर्व कौडल औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई है। मन्दिर न्यास द्वारा न तो टैण्डर आमन्त्रित किए गए हैं, और न निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं और न ही दर संविदा की दरों पर सामग्री को खरीदा गया है, जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि सामान की खरीद न्यूनतम दरों पर की गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों पर प्रयोग लाए गए लगभग 97 टन स्टील की गुणवत्ता के सम्बन्ध में भी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सामान की आपूर्ति करने हेतु न तो कार्यालय द्वारा आदेश जारी किये गए हैं और न ही सामान की खरीद से पूर्व अध्यक्ष, मन्दिर न्यास से स्वीकृति प्राप्त की गई है। ऐसी अवस्था में खरीद की सारी प्रक्रिया अनियमित प्रतीत होती है। अतः बिना निविदायें/टैण्डर आमन्त्रित किए तथा दर संविदा के बिना एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना सामान की खरीद व भुगतान करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इन प्रकरणों में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति बना कर यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्यों में सामान उच्च गुणवत्ता वाला प्रयोग में लाया गया है तथा यह समान ही न्यूनतम दरों पर खरीदा गया है तथा किसी प्रकार की अनियमितता व उच्च भुगतान की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त कौडल औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही खरीदे गए सामान को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। इस प्रकार नियमों की अनुपालना न करते हुए किए गए क्रय व भुगतानों में से कुछ का विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	वा० सं०	आपूर्तिकर्ता व बिल का विवरण	सामान का विवरण	राशि
1	17 माह 4/2012	मै० पंकज हार्डवेयर रोहडू, बिल सं० 1432, दिनांक 23.3.12	400 बोरी सिमेन्ट	1,23,600
2	18 माह 4/2012	मै० देहली स्टोर रोहडू, बिल सं० 8059, दिनांक 4/12	स्टील डाया 8 mm 2580 Kg 5145 10 mm 1030 Kg 5045 12 mm 1990 Kg 4945 16 mm 1920 Kg 5035 20 mm 2640 Kg 5035 25 mm 3010 Kg 5035	6,64,274 वैट 33214 <u>AGT 988</u> <u>6,98,476</u>
3	176 माह 9/2013	मै० देहली स्टोर रोहडू, बिल सं० 9880, दिनांक 19.8.2013	2100 किलो चैनल 4" दर 44 प्रति किलो 92400 किराया 600	93,000
4	177 माह 9/2013	मै० देहली स्टोर रोहडू, बिल सं० 9890, दिनांक 22.8.2013	873.30 किलो चैनल 3" दर 44 प्रति किलो 38,425 25 बोरी सीमेन्ट दर 330=8250 मजदूरी 135 किराया 600	47,410
5	178, माह 9/2013	मै० देहली स्टोर रोहडू, बिल सं० 9908, दिनांक 29.8.2013	ऐनल 724.30 किलो दर 44 प्रति किलो 31,869 सीमेन्ट 40बैग@ 330/-=13200 2x20 ltr Red Oxide = 4,400 20 ltr Tarpin Oil = 2,000 10 Mtr रेगमार = 500 किराया = 700 <u>52,669</u>	52,669
6	194, माह 9/2013	—यथोपरि— बिल सं० 9942 दिनांक 7.9.2013	2x20 ltr Primer = 4400 2x20 ltr Tarpin oil = 4000 5x4 ltr Black Paint = 4500 16mm Steel 714.70 Kg दर =31,384 10एम0एम0 स्टील 284.70 किलो दर =26,311 मजदूरी = 195 किराया = 700	71,490
7	195, माह 9/2013	—यथोपरि— बिल सं० 9952 दिनांक 11.9.13	Steel 16mm 101.500 Kg @ 4490 = 4557 8mm 176.400 Kg @ 4780 = 8320 50bagCement@340= 17000 मजदूरी = 50 किराया = 700	30,627

8	196, माह 9/2013	—यथोपरि— बिल सं0 9955, दिनांक 22.9.13	60 bag Cement @340 = 20,400 किराया = 700	21,100
9	197, माह 9/2013 208, माह 9/2013 210, माह 9/2013	मैं0 बजरंग होली ब्लॉक बिल सं0 दिनांक 402 6.9.2013 403 16.9.2013 404 20.9.2013	प्रत्येक बिल में सिमेन्ट कंकरीट ब्लॉक 900 नं0 6" x 8" x 16" दर ₹30 प्रति ब्लॉक = 27000 बिक्री कर = 1350 <u>28,350x3</u>	85,050
10	203, माह 9/2013	मैं0 मोनाद प्रोफाईल्स पंचकूला बिल सं0 160, दिनांक 11.9.2013	6985 किलो कोटिड स्टील शीट	4,77,863
11	186, माह 10/2014	मैं0 पंकज हार्डवेयर रोहडू बिल सं0 1632, दिनांक 27.9.2014	50 बैग सिमेन्ट दर = 16750 1 1/2" एन्राल 210.2 किलो दर = 9984 मजदूरी = 66 <u>26,800</u>	26,800
12	188, माह 10/2014	—यथोपरि— बिल सं0 1447 दिनांक 23.9.2014	पैन्ट, रैड आक्साईड व तारपीन का तेल इत्यादि	6,125
13	195, माह 10/2014	—यथोपरि— बिल सं0 1602, दिनांक 17.9.2014	50 बोरी सिमेन्ट @ ? = 17,500 12 pcs Holo pipe 2", 226.1 kg @ ? = 13113 15 pes Iron Sheet 396 kg @ ? = 23760 मजदूरी = 127 <u>54,500</u>	54,500
14	204, माह 10/2014	—यथोपरि— बिल सं0 1377, दिनांक 2.9.2014	2" Holo Pipe 198.3 Kg @ ? = 11898 1 1/2" Holo Pipe 372 Kg @ ? = 22320 2" Angle 45 Kg = 2115 2 meter Jaali = 300 मजदूरी = 97 किराया = 400 <u>37,130</u>	37,130
15	227, माह 10/2014	—यथोपरि— बिल सं0 1719 दिनांक 8.10.2014	50 बैग सिमेन्ट @ ? = 16750 3 प्लैन चादर = 2940 <u>19690</u>	19,690
16	220, माह 10/2014	—यथोपरि— बिल सं0 1658, दिनांक 29.9.2014	5 पीस आयरन शीट 149.3 किलो @ ? = 8958 3 पैकेट एकरियू = 42 <u>9000</u>	9,000
17	35, माह 4/2012	मैं0 पब्लर वैली स्टॉन क्रैशर	बजरी 20 एम0एम0 19.3.2012 = 200 फुट	

		28.3.2012	= 800 फुट	30,000
		29.3.2012	= 200 फुट	
			1200 फुट	
18	38, माह श्री राजू ग्राम विराट नगर पत्थर बौल्डर			35,775
	4/2012	53 ट्राली दर ₹675 = 35775		

इसके अतिरिक्त उपरोक्त विवरणानुसार न्यास द्वारा जितना भी पत्थर बजरी रेत इत्यादि खरीदा गया है उसका माप करने व वाईडस कम करने के उपरान्त माप पुस्तिका में ईन्द्राज लेकर भुगतान करने के स्थान पर, बिना माप व बिना वाईडस कटौती किए एम0ए0एस0 में ईन्द्राज करके सीधे भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक भुगतान में अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

30 मन्दिर न्यास द्वारा निर्माण कार्यों हेतु खरीदी गई लाखों रुपये की निर्माण सामग्री के प्रयोग सम्बन्धी कोई अभिलेख न रखा जाना

मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि में अत्याधिक निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर/मस्ट्रौल पर लेबर रख कर निष्पादित करवाए गए हैं। इन कार्यों हेतु निर्माण सामग्री की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि खरीदी गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि तो की गई है तथा एम0ए0एस0 में ईन्द्राज भी किया गया है, परन्तु निर्माण सामग्री की खपत/प्रयोग से सम्बन्धित कोई ईन्द्राज/उल्लेख उसमें नहीं किया गया है कि कब-कब एवं किस-किस मस्ट्रौल द्वारा किस कार्य पर सामग्री प्रयोग में लाई गई, जिसकी अनुपलब्धता में न तो यह पता चल सकता है कि किस कार्य पर कितनी सामग्री प्रयोग में लाई गई और कितनी बकाया है और न ही यह पता लगाया जा सका कि मस्ट्रौल में दर्शाए कार्य हेतु जितनी सामान की आवश्यकता थी, क्या वास्तव में उस दिन उतनी ही सामग्री स्टॉक में थी भी अथवा नहीं ? इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा कार्य की गुणवत्ता को भी प्रमाणित नहीं किया गया क्योंकि सामान की खपत से ही पता लग सकता था कि क्या नियमानुसार वांछित सामान की खपत की गई है अथवा नहीं। उद्घाहरण के रूप में 1 घन मीटर सीमेन्ट कंकरीट 1 : 2 : 4 के अनुपात में डालने हेतु 6.40 बोरी सीमेन्ट की आवश्यकता होती है तथा निष्पादन की तिथि को यदि स्टॉक में केवल 5 बैग ही हो अथवा केवल 5 बैग ही खपत किए गए हों तो कार्य निम्नस्तर का हो जाता है। अतः समय-समय पर कार्य प्रगति के अनुसार स्टॉक से सामान को जारी न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में अध्यक्ष, मन्दिर न्यास से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 199, दिनांक 22.1.2016 व 217, दिनांक 16.2.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था तथा प्रयोग सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर उसे सत्यापित करवाने का निवेदन किया गया था ताकि किए गए कार्य तथा सामान की खरीद खपत को उचित ठहराया जा सके, परन्तु इस सन्दर्भ में उनके द्वारा कोई

कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर के विशेष ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि मन्दिर न्यास द्वारा किए गए कार्य के अनुसार सामान की खपत को सत्यापित करवाकर की गई खरीद, खपत व कार्य को उचित ठहराया जाए तथा की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवया जाए। अंकेक्षणाधीन अवधि में मुख्य निर्माण हेतु खरीदी गई सामग्री का विवरण निम्नलिखित है ।

क्र० सं०	सामान का विवरण	जिस अवधि में सामान की खरीद की गई	मात्रा	एम०ए० सं० पृष्ठ सं०
1	सीमेन्ट	21.6.2010 से 14.10.2011 12.12.2011 से 30.10.2015	560 बोरी 7410 बोरी	पुराना एम०ए० सं० पृष्ठ-52 पृष्ठ-1,2 व 62
2	सरिया	12.12.2010 से 21.6.2011	1059.2 किलो	पुराना एम०ए० सं० पृष्ठ-19 व 40 पृष्ठ-3 व 4
3	बजरी 20एम०एम	23.12.2011 से 24.10.2013 23.4.2011 से 25.4.2011 11.12.2011 से 22.10.2013	94518 किलो 429.56वर्गफुट 21,300 वर्ग फुट	पृष्ठ-55 पृष्ठ 5 व 6
4	ईंट	4.5.2012 से 16.4.2015	40,100 नं०	पृष्ठ-27
5	चैनल 3" व 4" पती व पाईप इत्यादि	13.6.2012 से 13.5.2015	32,988 किलो	पृष्ठ-31 व 32
6	कंकरीट ब्लॉक	7.5.2013 से 15.10.2013	14,383 नं०	पृष्ठ-35
7	रेता	12.12.2011 से 8.8.2015	30,700 फुट	पृष्ठ-9 से 11
8	छत की शीट	11.9.2013 6.11.2013	6985 किलो 322 पीस	एम०ए० सं० पृष्ठ-39

31 निर्माण कार्यों हेतु निर्माण सामान की खरीद स्थानीय बाजार से न करने के कारण किराये के रूप में भुगतान की गई ₹10,550 के बारे में

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि न्यास द्वारा निर्माण कार्यों हेतु निर्माण सामग्री की खरीद स्थानीय मार्केट से न करके लगभग 15 किलोमीटर दूर रोहडू से की गई है। यह खरीद न्यूनतम दरों पर करने हेतु निविदाएं भी आमन्त्रित नहीं की गई है तथा सामान को हाटकोटी लाने हेतु किराए के रूप में अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। अतः बिना निविदाएं आमन्त्रित किए, स्थानीय बाजार से सामान की खरीद न करके 15 किलोमीटर दूर से अतिरिक्त किराए का भुगतान करके सामान की खरीद किया जाना अनियमित प्रतीत होता है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। मन्दिर न्यास द्वारा रोहडू से खरीद करके किए गए किराये के भुगतान का विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	वा० सं० व माह	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/ दिनांक	सामान का विवरण	बिल की कुल राशि	किराए के रूप में भुगतान की गई राशि
1	254 माह 9/12	पंकज हार्डवेयर	2086 दिनांक शून्य	सीमेन्ट 50 बैग	16,700	200
2	255 माह 9/12	दिल्ली स्टोर	8767	20 एमएम सरिया 3050 किलो	1,44,845	950
3	103 माह 6/13	पंकज हार्डवेयर	2523 दिनांक 26.6.13	सीमेन्ट 130 बैग	42,100	500
4	153 माह 8/13	पंकज हार्डवेयर	2595 दिनांक 12.8.13	सीमेन्ट 50 बैग	17,200	700
5	158 माह 8/13	दिल्ली स्टोर	9848 दिनांक 10.8.13	सीमेन्ट 30 बैग चैनल 662 कि०	39,867	700
6	166 माह 9/13	दिल्ली स्टोर	9842 दिनांक 7.8.13	चैनल 928 कि०	39,100	700
7	176 माह 8/13	दिल्ली स्टोर	9880 दिनांक 19.8.13	चैनल 2100 कि०	93,000	600
8	177 माह 8/13	दिल्ली स्टोर	9890 दिनांक 22.8.13	चैनल 873 कि०	47,410	600
9	178 माह 8/13	दिल्ली स्टोर	9908 दिनांक 29.8.13	25 बोरी सीमेन्ट ऍन्नाल, सीमेन्ट रंग रोगन इत्यादि	52,669	700
10	194 माह 9/13	दिल्ली स्टोर	9942 दिनांक 17.9.13	रैड आक्सार्ड इत्यादि	71,840	700
11	195 माह 9/13	दिल्ली स्टोर	9952 दिनांक 11.9.13	स्टील व सीमेन्ट	30,627	700
12	12 माह 9/13	दिल्ली स्टोर	9955 दिनांक 12.9.13	सीमेन्ट 60 बैग	21,100	700
13	278 माह 10/13	पंकज हार्डवेयर	2693	सीमेन्ट 50 बैग सरिया 98 कि०	21,010	600
14	314 माह 11/13	पंकज हार्डवेयर	2740 दिनांक 21.11.13	सीमेन्ट 30 बैग	10,300	400
15	356 माह 12/13	दिल्ली स्टोर	10245 दिनांक 27.11.13	सीमेन्ट 30 बैग	10,440	400
16	116 माह 7/14	पंकज हार्डवेयर	1236 दिनांक 16.7.2014	सीमेन्ट 40 बैग	14,000	600
17	151 माह 8/14	पंकज हार्डवेयर	1282 दिनांक 3.8.2014	सीमेन्ट 20 बैग	7,100	400
18	152 माह 8/14	पंकज हार्डवेयर	1283 दिनांक 3.8.2014	सीमेन्ट 50 बैग	17,650	400
					योग	10,550

32 मन्दिर न्यास द्वारा निर्मित लंगर भवन के सन्दर्भ में

मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 15.5.2010 को सम्पन्न हुई बैठक की मद संख्या 3 में लंगर भवन के निर्माण कार्य का निर्णय लिया गया तथा निर्माण के स्थान के चयन में विलम्ब के कारण यह कार्य एक वर्ष पश्चात आरम्भ किया गया तथा न्यास द्वारा दिनांक 17.10.2011 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव संख्या: 4 के अन्तर्गत "भवन निर्माण की जिम्मेवारी, पूर्व न्यासी श्री यशवन्त छाछटा, जोकि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रथम श्रेणी के ठेकेदार हैं तथा उनका भवन निर्माण में बहुत तजुर्बा है, को ध्यान में रखते हुए उन्हें सौंपी गई तदनुसार लंगर भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया तथा विभागीय स्तर पर मज़दूरों द्वारा यह कार्य निष्पादित किया गया। कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई, जिनके सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 207, दिनांक 2.2.2016 व 217 दिनांक 16.2.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, परन्तु मन्दिर न्यास इस सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः इस निर्माण कार्य में हुई किसी भी प्रकार की अनियमितता को नकारते हुए निष्पादित किए गए कार्य व किए गए व्यय को उचित ठहराया जाए। पाई गई आपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है।

(क) उक्त कार्य आरम्भ करने से पूर्व न तो कोई अनुमान पत्र बनाया गया है न कोई तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है और न ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त कार्य आरम्भ करने से पूर्व आयुक्त मन्दिर न्यास से कोई स्वीकृति/अनुमति प्राप्त नहीं की गई है जो नियमानुसार अनिवार्य थी। अतः आवश्यक कौडल औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही इतना बड़ा निर्माण कार्य का करवाया जाना अनियमित है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करके तथा कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अभिलेख की जांच में पाया गया कि इतने बड़े भवन निर्माण से पूर्व भूमि की भार उठाने की क्षमता की जांच नहीं करवाई गई है तथा लगभग 1½ करोड़ के निर्माण कार्य की देखरेख हेतु कोई तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया था। वर्ष 2010 में न्यास के पास पार्ट टाइम कार्य के आधार पर एक कनिष्ठ अभियन्ता श्री राजेश कुमार तैनात थे, जिन्हें ₹2875 प्रति माह की दर से मानदेय दिया गया तथा वर्ष 2011 में उन्हें ₹3160 प्रति माह मानदेय दिया गया, परन्तु वर्ष 2012 व 2013 में जब लंगर भवन व बाऊण्डरी वॉल के निर्माण जैसे बड़े कार्य करवाए गए ताकि उन्हें कार्य से हटा दिया गया तथा वर्ष 2014 में उन्हें ₹2000 प्रति माह मानदेय

पर पुनः नियुक्त कर लिया गया है। इस प्रकार किसी भी तकनीकी कर्मचारी/अधिकारी की देख-रेख बिना इतना बड़ा निर्माण कार्य करवाया जाना अनियमित प्रतीत होता है।

(ग) माह 5/2012 में मस्ट्रोल पर लगाये गए मजदूरों को कुल ₹87,900 का भुगतान किया गया, जिसके अन्तर्गत मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति माप पुस्तिका संख्या: 19 के पृष्ठ 72 से 77 पर दर्ज की गई तथा उनके द्वारा किए गए कार्य की कुल ₹1,42,002 की प्रगति दर्शा कर उन्हें भुगतान किया गया। मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विवरण माप पुस्तिका के पृष्ठ 46 से 52 पर दर्ज है, जहां पर यह कार्य माह अप्रैल 2012 में किया गया दर्शाया गया है। इसी प्रकार माह सितम्बर के मस्ट्रोल की ₹80,150 के भुगतान के समर्थन में मजदूरों द्वारा किए गए कुल कार्य की प्रगति की ₹80,445 दर्शाई गई जिसका इन्द्राज माप पुस्तिका संख्या: 17 के पृष्ठ 56 से 60 पर किया गया है। इस कार्य प्रगति में मजदूरों द्वारा 5094.09 किलो स्टील बिछाने के कार्य को भी किया गया है, जिसकी प्रगति की कुल ₹24,452 ली गई तथा जिसका विवरण पृष्ठ-53 पर दर्ज है, परन्तु माप पुस्तिका के अनुसार मजदूरों द्वारा यह कार्य माह अगस्त 2012 में निष्पादित किया गया था। अतः पिछले माह में किए गए कार्य को अगले माह में निष्पादित किया गया दर्शाने से स्पष्ट प्रकट होता है कि उक्त माह में मजदूरों द्वारा कार्य नहीं किया गया व उन्हें अनुचित भुगतान किया गया है। अतः माह 5/2012 के भुगतान ₹87,900 तथा माह 9/2012 के भुगतान में ₹24,452 के भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए, तथा किसी प्रकार के गलत भुगतान की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) मन्दिर न्यास द्वारा आर0सी0सी0 वर्क हेतु माईल्ड स्टील बिछाने के कार्य में कुल 13902.21 किलो स्टील बिछाने के कार्य प्रगति ली गई है तथा स्टील की खपत दर्शाई गई जबकि गणना की जांच में यह मात्रा केवल 13661.47 किलो पाई गई। इस प्रकार 240.74 किलो स्टील बिछाने हेतु कुल ₹1154.72 के कार्य के प्रगति $(240-74 \times 2-40 = 572 + 135-29\% \text{ Premim } 781-67 - 15\% \text{ ठेकेदार लाभ } 203.91)$ तथा 240.74 किलो स्टील की ₹12,050 $(240-74 \times 50)$ की खपत गलत/अधिक दर्शाई गई जिस बारे भी वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(ङ) माह नवम्बर 2012 के मस्ट्रोल पर ₹57300 की कार्य के प्रगति माप पुस्तिका संख्या: 17 के पृष्ठ-69 से 74 पर ली गई तथा न्यास द्वारा कुल ₹1,22,431 की कार्य प्रगति दर्शाई गई है। इस कार्य की प्रगति में मद संख्या: 2 के अन्तर्गत (प्रोवाईडिंग एण्ड लेईन्ग माईल्ड टाट स्टील) की कुल 13902.21 किलो स्टील बिछाने पर कुल ₹66728 के कार्य प्रगति $(13902-21 \times 2-40 = 33365 + 135-29\% \text{ लेबर प्रीमियम } 45139.50 - 15\% \text{ ठेकेदार का लाभांश } ₹11775.67)$ तथा स्टील की खपत दर्शाई गई है। जांच में पाया गया कि इस स्टील की खपत व कार्य के प्रगति

पहले ही माह अक्टूबर 2012 में (माप पुस्तिका पृष्ठ 68 व 69 के अनुसार) ली जा चुकी थी। इस प्रकार इस माह में कुल ₹66,728.83 के कार्य प्रगति व 13902 किलो स्टील की खपत दौबारा ली गई है, जिस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(च) माह दिसम्बर 2012 के मस्ट्रोल में मजदूरों को कुल ₹67,270 का भुगतान किया गया है तथा उनके द्वारा किए गए कार्य के कार्य की प्रगति कुल ₹1,22,134 माप पुस्तिका 17 के पृष्ठ संख्या: 76 से 80 पर दर्ज करके भुगतान को उचित ठहराया गया है। जांच में पाया गया कि दर्शाए गए कार्य में मद संख्या: 1 व 2 पहले ही विभिन्न माह की कार्य प्रगति में दर्ज की जा चुकी थी, जिसका विवरण इस प्रकार से है।

मद संख्या का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	राशि	माह व माप पुस्तिका पृष्ठ जहां मद पहले ही निष्पादित है
मद सं० 1 प्रोवाईडिंग फोर्म वर्क इन स्टील प्लैट (क) फलैट सरफेस (ख) स्टैयर केसिस विद स्लोपिंग इत्यादि	410.97 घन मी० 45.09 घन मी०	₹46.10 ₹35.70	18,906 1610	माह जुलाई 2012 माप पुस्तिका पृष्ठ 49 पर पहले ही निष्पादित की जा चुकी है। माप पुस्तिका सं० 19 पृष्ठ 87 पर भी इस मद का पुनः भुगतान किया गया
मद संख्या: 2 सीमेन्ट कंकरीट 1 : 1½ : 3 ईन स्लैब, लैन्टल बीम इत्यादि	76.04 घन मी०	₹272.70	20736	माह अगस्त 2012 में माप पुस्तिका पृष्ठ 54 व 55 पहले ही मद को लिया जा चुका है।
कुल दोहरी निष्पादित मदों की राशि			41252	
+ 135.29% लेबर प्रीमियम		(+)	55810	
कुल राशि			97062	
(-) 15% ठेकेदार का लाभ		(-)	14559	
कुल अधिक/दोहरी दर्शाई गई कार्य प्रगति			82503	

इस प्रकार माह में कुल ₹82,503 की कार्य की प्रगति तथा 76.04 घन मीटर सीमेन्ट कंकरीट बिछाने हेतु 608.32 बोरी सीमेन्ट, 32.33 घन मीटर रेत व 64.62 घन मी० 20 एम०एम० बजरी की अधिक खपत दर्ज की गई। इसी प्रकार क्रम संख्या: 1 से 11 तक वर्णित कार्यों के अन्तर्गत कुल ₹1,66,137 के कार्य की प्रगति, लगभग ₹7,00,000 की 14142.74 किलो स्टील, ₹1,95,000, की 608 सीमेन्ट की बोरी ₹29,000 का 32.33 घन मीटर रेत तथा ₹64,000 को 20 एम०एम० 64.62 घन मीटर बजरी के बराबर सामान की खपत दौबारा दर्ज की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 217, दिनांक 16.2.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु मन्दिर न्यास कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष

ध्यान में लाया जाता है ताकि इस प्रकरण पर अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके तथा अधिक कार्य की प्रगति दर्शा कर मजदूरों को किए गए भुगतान व अधिक की गई सामान की खपत की वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा सके तथा इन अनियमितताओं के कारण यदि न्यास को हुई हानि की प्रतिपूर्ति हो सके। इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(छ) न्यास द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो लाखों रुपये की निर्माण सामग्री खरीदी गई है उसका स्टॉक में इन्द्राज तो किया गया है, परन्तु समय-समय पर की गई खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किए गए हैं, जिस कारण किए गए कार्य के सामान की खपत को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अंकेक्षण द्वारा माप पुस्तिकाओं में लंगर भवन के निर्माण से सम्बन्धित कार्य के अनुसार व नियमानुसार कार्य हेतु वांछित स्टील की खपत की परिशिष्ट-“छ” पर की गई के गणना करने पर पाया गया कि यदि दर्शाए कार्य विवरण अनुसार स्टोल की खपत की जाती तो स्टॉक में वांछित स्टील थी ही नहीं जोकि कुल कार्य अनुसार 6593 किलो कम बनती है, जबकि इस अवधि में स्टॉक से ग्रेडिन्ग हॉल के निर्माण कार्य हेतु भी लगभग 4 टन स्टील भी जारी की गई है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट है कि यह तो कार्य निम्न स्तर पर निष्पादित किया गया है अथवा जो माप पुस्तिकाओं में जो कार्य की प्रगति दर्ज की गई है वह गलत है अर्थात् मजदूरों द्वारा कार्य नहीं किया गया है अथवा कम कार्य किया गया है। इस प्रकार कार्य की प्रगति गलत दर्शा कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया गया है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा किए गए कार्य व कार्य हेतु की गई सामान की खपत व मजदूरों को किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए तथा किसी प्रकार की अनियमितता की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 मस्ट्रोलों के अन्तर्गत किए गए कार्य का गलत लेबर रेट लगा कर मजदूरों द्वारा किए कार्य की प्रगति को उचित ठहराकर उनको ₹12061 का अधिक भुगतान करना

माह अगस्त 2012 में मस्ट्रोल के अन्तर्गत नियुक्त मजदूरों को ₹53530 का भुगतान किया गया। मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति माप पुस्तिका संख्या: 17 के पृष्ठ 55 पर कुल ₹62416 की लेते हुए तथा ₹8886 की बचत दर्शाते हुए मजदूरों को किए गए भुगतान को उचित ठहराया गया है। जांच में पाया गया कि इस कार्य की प्रगति में सीमेन्ट कंकरीट 1: 1½ : 3 स्लैब लैन्टल बीम, गराइडर्ज व बैसमैन्ट इत्यादि की कुल 76.04 घन मीटर मात्रा निष्पादित की गई दर्शाई गई है तथा 1999 की मानक दरों के आधार पर कार्य प्रगति हेतु ₹410.44 प्रति घन मीटर की दर पर लेबर रेट लेकर कार्य प्रगति की राशि की गणना की गई है, जबकि मानक दरों में यह दर केवल ₹272.70 प्रति घन मीटर थी। इस प्रकार प्रति घन मीटर की ₹137.74 की

अधिक मानक दर लेकर 76.04 घन मीटर कार्य हेतु ₹20947 (76-04 x 137-74 = 10473-74 + 135-29% लेबर प्रीमियम 14169.93 (-) 15% ठेकेदार लाभ ₹3696.55 = 20947.13) की कार्य प्रगति अधिक दर्शाई गई है तथा इस अधिक कार्य प्रगति को कम करने के उपरान्त मजदूरों की कार्य प्रगति केवल ₹41469 (62416-20947) की जाती है जबकि उनको भुगतान ₹53530 का किया गया है। अतः कार्य प्रगति के अनुसार मजदूरों को किए गए ₹53530 - ₹41469 = ₹12061 के अधिक भुगतान की उचित स्रोत से प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

34 कूड़ादान के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) मन्दिर न्यास द्वारा वाऊचर संख्या: 74 माह 4/2011 के अन्तर्गत कूड़ा दान के निर्माण कार्य हेतु माह फरवरी 2011 में मस्ट्रोल पर दैनिक वेतन के आधार पर दिनांक 9.2.2011 से 18.2.2011 के दौरान लगाये गए 2 मिस्त्री व 2 मजदूरों को ₹7200 का भुगतान किया गया। मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति माप पुस्तिका संख्या: 13 के पृष्ठ 92 से 94 पर ली गई है। जांच में पाया गया कि कार्य पर निर्धारित माप दण्डों से 52 बोरी सीमेन्ट की अधिक खपत दर्शाई गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	निष्पादित मात्रा	नियमानुसार वांछित सीमेन्ट की खपत	माप पुस्तिका अनुसार की गई खपत	अधिक की गई खपत
1	RRC Messianary 1:6	5.91 घन मी०	9.75	9.75	—
2	Cement Concrete work 1:2:4	.66 घन मी०	4.22	4.22	—
3	Cement Plaster 20MM in two coats	34.20 वर्ग मी०	5.82	58.14	52.32

अतः अधिक दर्शाई गई खपत को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक दर्शाई गई खपत की उचित स्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) मन्दिर न्यास के कूड़ेदान की कटिंग व चिनाई के कार्य पर माह अक्टूबर 2010 में मस्ट्रोल पर लगाए गए मजदूरों के दैनिक वेतन का भुगतान वाऊचर संख्या: 76, माह 4/2011 के अन्तर्गत किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

6 मिस्त्री	31 दिन तक ₹250 प्रति दिन की दर पर	= 46500
5 मजदूर	31 दिन तक ₹110 प्रति दिन की दर पर	= 20460
		<u>66960</u>

(i) उपरोक्त विवरणानुसार मजदूरों द्वारा माह अक्टूबर 2010 में कार्य किया गया परन्तु उन्हें भुगतान 7 माह बाद अर्थात् माह 4/2011 को किया गया है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

- (ii) मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की कार्य प्रगति का विवरण न तो किसी माप पुस्तिका में दर्ज किया गया पाया गया और न ही मस्ट्रोल में उनका विवरण दिया गया है। वास्तव में इस कार्य से सम्बन्धित कोई कार्य प्रगति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जिससे कार्य की प्रगति, कार्य पर किया गया व्यय, तथा पूर्ण करने की तिथि का पता चल सके, जिसे तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके व आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवा कर किए गए व्यय को उचित ठहराया जाए।
- (iii) न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इस कार्य के लिए ₹2,70,820 का अनुमान पत्र बनाया गया था परन्तु न तो इस सन्दर्भ में कोई तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई और न ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई जो एक गम्भीर चूक है। अतः बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति प्राप्त किए कार्य निष्पादित करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी से कार्योंत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

35 मन्दिर न्यास द्वारा मै0 अमर स्टोर रोहडू को किए गए ₹30,000 के सम्बन्धित बिल वाऊचर प्रस्तुत न करने बारे

वाऊचर संख्या: 53 माह 6/2010 के अन्तर्गत ₹30,000 का भुगतान मै0 अमर स्टोर रोहडू को किया गया। अपने प्रार्थना पत्र में मै0 अमर स्टोर द्वारा लिखा गया था कि उनके द्वारा वर्ष 2005 में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य किया गया था, जिसके कुल बिल की ₹71,876 का भुगतान देय था जिसमें से ₹40,000 का भुगतान सचिव, विशेष क्षेत्र विस्तार प्राधीकरण (Special Area Development Authority) द्वारा दिनांक 22.5.2010 को किया गया तथा शेष राशि के भुगतान हेतु मन्दिर न्यास से प्रार्थना की गई, तदनुसार न्यास द्वारा उक्त राशि का भुगतान किया गया, जबकि इस भुगतान के समर्थन में कोई बिल वाऊचर साथ संलग्न नहीं है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि यह कार्य न्यास के किन आदेशों के अन्तर्गत करवाया गया। यदि यह कार्य साडा (SADA) द्वारा करवाया गया तो न्यास द्वारा उक्त राशि के भुगतान करने का क्या कारण थे, उन्हें स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त सचिव SADA से यह प्रमाणित करवाया जाए कि उक्त शेष राशि जोकि मै0 अमर स्टोर द्वारा मांगी गई है वास्तव में मन्दिर न्यास द्वारा देय है। भुगतान से पूर्व अध्यक्ष मन्दिर न्यास से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। अतः सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

36 सोमपुरी बगीचे तथा अन्य निर्माण कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) वाऊचर संख्या: 267, 268 व 269 माह 9/2011 के अन्तर्गत श्री रेशम बहादुर को सोनपुरी बगीचे में लेबर हट के निर्माण पर लगाये गए मजदूरों के भुगतान व सामान की खरीद हेतु प्रदान

की गई कुल अग्रधन ₹1,38,000 में से ₹1,25,112 का समायोजन किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	वाऊचर संख्या	विवरण	राशि
1	267	दिनांक 1.5.2011 से 31.5.2011 तक मस्ट्रोल पर लगाए गए 4 मिस्त्री व 4 मजदूरों का भुगतान	45,880
2	268	दिनांक 1.6.2011 से 24.6.2011 तक मस्ट्रोल पर लगाये गए 4 मिस्त्री व 4 मजदूरों का भुगतान	35,520
3	269	कार्य हेतु खरीदी गई निर्माण सामग्री का बिल (पत्थर, रेत व रोड़ी)	43,712

इस कार्य हेतु मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति तथा सामान की खपत का ईन्द्राज माप पुस्तिका संख्या: 8 के पृष्ठ 86 से 94 पर लिया गया। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त निष्पादित कार्य पर माप पुस्तिका के पृष्ठ 94 पर 125.96 बोरी सीमेन्ट की खपत दर्शाई गई है, जबकि पुराना एम0ए0एस0 जहां पर इस कार्य हेतु खरीदे गए सीमेन्ट का ईन्द्राज लिया गया है, के अनुसार इस कार्य हेतु दिनांक 9.4.2011 को 25 बोरी दिनांक 24.4.2011 को 25 बोरी तथा दिनांक 20.6.2011 को 40 बोरी अर्थात् कुल 90 बोरी सीमेन्ट की खरीद की गई थी। अतः 90 बोरी के विरुद्ध 126 बोरी की खपत दर्शाना अनियमित है। अतः उक्त किए गए कार्य तथा सामान की खपत को नियमानुसार उचित ठहराया जाए किसी प्रकार की अनियमितता की अवस्था में उचित कार्रवाही अमल में लाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपर वर्णित क्रम 3 पर वाऊचर संख्या: 269 के अन्तर्गत खरीदी गई निर्माण सामग्री का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	पत्थर	67-41 m ³	450	30,335
2	रेत	915 ft	14	12,810
3	बजरी 20mm	25-78 ft	22	567
योग				43,712

इस सामान की खरीद के समर्थन में न तो कोई निविदाएँ ली गई, जिससे पता चल सके कि सामान न्यूनतम दरों पर खरीदा गया है और न तो सामान को माप पुस्तिका में दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि नियमानुसार जो वाईडस की कटौती करनी अपेक्षित थी, वह की गई है अथवा नहीं? उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत इस प्रकरण में किसी प्रकार के अधिक/गलत भुगतान को नकारा नहीं जा सकता है। अतः जांच के उपरान्त उक्त भुगतान को उचित ठहराया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) दिनांक 1.2.2011 से 7.2.2011 के दौरान मन्दिर के नजदीक बाऊंडरी वाल व सीड़ियों के निर्माण कार्य हेतु मस्ट्रोल पर लगाए गए 2 मिस्त्री व 2 मजदूरों के वेतन का भुगतान वाऊचर

संख्या: 75 माह 4/2011 के अन्तर्गत किया गया। मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विवरण माप पुस्तिका संख्या: 13 के पृष्ठ 88 से 91 पर दर्ज किया गया है तथा उनके द्वारा 5.58 घन मीटर आर0आर0 मैसनरी सीमेन्ट मोटर् 1:6 के अनुपात में लगाई गई दर्शाई गई है तथा इस कार्य हेतु 5 बोरी सीमेन्ट की खपत की गई दर्शाई गई, जबकि नियमानुसार इस कार्य हेतु 9 बोरी सीमेन्ट की खपत होनी चाहिए थी। अतः उक्त विवरण में यह स्पष्ट प्रकट होता है कि निष्पादित कार्य अत्यन्त निम्नस्तर का किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(घ) माप पुस्तिका संख्या: 19 के पृष्ठ 46 पर 20 एम0एम0 स्टील की कुल खपत 2398.12 किलो दर्शाई गई, जबकि वास्तव में यह मात्रा केवल 1983—16 किलो बनती थी। इस प्रकार कुल 414.96 किलो स्टील की अधिक गलत खपत दर्शाई गई। अतः इस प्रकरण में उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

37 मन्दिर न्यास द्वारा समय—समय पर बिजली व पानी के रख—रखाव हेतु खरीदे गए सामान की न तो स्टॉक प्रविष्टियाँ करना और न ही प्रयोग किए गए सामान से सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा समय—समय पर बिजली व पानी का सामान खरीदा गया है परन्तु खरीदे गए इस सामान से सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार नहीं किए गए हैं तथा कई मामलों में तो खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां भी नहीं ली गई हैं तथा सामान के प्रयोग से सम्बन्धित अभिलेख भी तैयार नहीं किए गए हैं, जोकि खरीद पर प्रश्न चिन्ह लगाता है व किसी प्रकार के दुरुपयोग को भी नहीं नकारा जा सकता है। अतः खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां न करने तथा प्रयोग सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा संस्था स्तर पर जांच करके यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे प्रकरणों में किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है तथा ऐसे समस्त प्रकरणों में उचित कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए जिन बिलों की स्टॉक प्रविष्टि तथा खपत से सम्बन्धित विवरण तैयार नहीं किए गए हैं उनका विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	वाऊचर सं०	आपूर्तिकर्ता का नाम व बिल सं०	सामान का विवरण	राशि
1	368 माह 4/2010	मैं अमर स्टोर बिल सं० 433, दिनांक 26.3.10	1 पैकेट राऊल प्लग 50 No. W.Screw 2” 1 No. Metal Halide 400 watt with 400 watt lamp 36 No. Chawk 2x24 watt @ 675 each 50 No. Rod T.5 24	18 30,168 50 4000 21600 4500

			watt @90		
2	73 माह	मै0 हाटकोटी हार्डवेयर एण्ड	Tea 3 No	90	451
	4/2011	सैनितरी स्टोर	Socket 3 No.	45	
			Union 11No.	135	
			Phug 2	16	
			नलका 3 नम्बर	105	
			निष्पल 3	60	
3	348 माह	मै0 बनारसी दास एण्ड	वाटर टैंक 6 नम्बर	25,800	43,895
	9/2011	कम्पनी बिल नम्बर 09932	पी0वी0सी0 पाईप 17	5,100	
		दिनांक 25.4.11	No., 4x17ft		
			बैण्ड 4	440	
			टी 4	225	
			कलैम्प 30 नं0	360	
			सल्युशन 1 ली0	210	
			जेनसन 20 नं0	6600	
			बिब कॉक 15 नं0	3600	
			वाटर पाईप 30 नं0	900	
				660	
			बाल वाल्व 1/2" 6 नं0		
4	6 माह	देहली स्टोर रोहडू 1 बिल	पी0वी0सी0 पाईप 128.80	11592	12,142
	4/2012	सं0 8063 दिनांक 24.3.16	(7 बण्डल)		
			10 सोकट 3/4"	250	
			योग	11842	
			किराया	300	
			कुल योग	12142	
5	26 माह	मै0 पूजा अजैन्सी	18 watt Spiral Lamp	8000	30,000
	4/2012	इण्डस्ट्रीयल ऐरिया फेस-11,	50 No. @ 160		
		चण्डीगढ़ बिल नं0 8703,			
		दिनांक 16.3.12			
			T-5, 14 Watt Rod 100	8000	
			No. @ 80		
			Ballast 14 Watt T-5	12800	
			80 No. @ 160		
			Vat	3000	
				31800	
			Paid	30,000	
			इस खरीद को किसके द्वारा चण्डीगढ़ में किया गया, सामान किस माध्यम से आया तथा सामान की आवश्यकता सम्बन्धित भी पत्र साथ संलग्न नहीं है।		
6	29 माह	मै0 ठाकुर इलैक्ट्रीकल एण्ड	Armoured Cable	16200	10,000
	4/2012	हार्डवेयर स्टोर जगतखाना 1	heavy duty 4m ² for		
		बिल नं0 307, दिनांक 16.3.	street light 270 x 60		
		12	Paid Rs.	10000	
7	201 माह	मै0 पंकज हार्डवेयर बिल सं0	2 Brass Nozal	400	630
	10/2014	1432 दिनांक 13.9.14	2 Union 3/4"	160	

38 मन्दिर न्यास की सराय के बिस्तरे तथा वर्तन इत्यादि की खरीद तथा सराय की मुरम्मत हेतु भुगतान की अग्रधन ₹10 लाख के समायोजन से सम्बन्धित अनियमितताएँ

वाऊचर संख्या: 79, दिनांक 14.4.2011 के अन्तर्गत न्यास सदस्य श्री पूर्ण सिंह रावत तथा

श्री रतन चौहान को सराय के लिए बिस्तरे, वर्तन इत्यादि की खरीद हेतु ₹7 लाख तथा सराय की मुरम्मत इत्यादि के लिए ₹3 लाख अर्थात् कुल ₹10 लाख अग्रधन के रूप में प्रदान किए गए। इस सामान की खरीद न्यास के 4 सदस्यों, श्री सी0एल0. नेगी, श्री एम0के0 रतन, श्री पूर्ण रावत तथा श्री भगवान सिंह खेमटा की Sport Purchase Committee द्वारा चण्डीगढ़, जगाधरी, अम्बाला इत्यादि शहरों में जा कर की गई। उक्त प्रदान की गई ₹10 लाख में से ₹1 लाख दिनांक 25.4.11 को वापिस जमा करवा दी गई तथा शेष ₹8,81,886 का समायोजन वाऊचर संख्या 334 से 363 माह 9/2011 के अन्तर्गत किया गया। सम्बन्धित अभिलेख की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई, जिनका निपटारा करके किए गए भुगतान व समायोजन को उचित ठहराया जाए।

(क) उक्त अग्रिम राशि प्रदान करने हेतु व सामान की खरीद करने हेतु अध्यक्ष मन्दिर न्यास एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0) रोहडू द्वारा दिए गए अपने आदेशों में लिखा गया कि न्यास की दिनांक 15.5.2010 व 4.10.2010 को सम्पन्न हुई बैठकों में लिए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है कि क्रय सभी कौडल औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त किया जाए तथा जैसा न्यास द्वारा दिनांक 4.10.2010 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में मद संख्या: 9 में निर्णय लिया गया है कि इस सन्दर्भ में पहले आयुक्त मन्दिर एवं निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाए। तत्पश्चात उक्त स्वीकृति प्राप्त करके ही राशि की निकासी को जाए व सामान की खरीद की जाए। जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा उपरोक्त आदेशों की पूर्ण तरह अवहेलना करते हुए तथा आयुक्त मन्दिर एवं निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना ही ₹10 लाख की निकासी की गई तथा उसमें से व्यय किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 180 दिनांक 18.12.2015 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके उत्तर में उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्योंकि न्यास की बैठक में भाषा एवं संस्कृति विभाग का प्रतिनिधि भी मौजूद होता है, अतः स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई, परन्तु न्यास द्वारा ही अपनी बैठक में नियमानुसार निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग से स्वीकृति प्राप्त करके राशि व्यय करने की अनुमति प्रदान की थी तथा तदनुसार अध्यक्ष, मन्दिर न्यास द्वारा भी भाषा एवं संस्कृति विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर राशि की निकासी व व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अतः लिखित

आदेश होते हुए भी नियमों की व आदेशों की अवहेलना करके ₹10 लाख की निकासी करके व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह मामला उचित कार्रवाई हेतु आयुक्त मन्दिर एवं निदेशक, भाषा व संस्कृति विभाग के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस अनियमितता को नियमित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योंत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(ख) अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास के सदस्यों द्वारा किए गए क्रय से पूर्व कोई भी निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई, जिससे प्रमाणित हो सके कि खरीद न्यूनतम दर पर की गई है और न ही उनके द्वारा यह भी सत्यापित नहीं किया गया है कि, की गई खरीद न्यूनतम दरों पर की गई है। ऐसी अवस्था में किसी प्रकार की उच्च दरों पर खरीद/अधिक भुगतान को नकारा नहीं जा सकता है। अतः न्यास के सदस्यों द्वारा निविदाएं लेकर खरीद न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा किसी प्रकार की उच्च दरों पर की गई खरीद को नकारते हुए की गई खरीद व भुगतान को उचित ठहराया जाए। इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। निविदाएं लिए बिना की गई खरीद का विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	व० सं०	आपूर्तिकर्ता व बिल का विवरण	सामान का विवरण	राशि	
1	335	हिमाचल रुई उद्योग अम्बाला, बिल नं० 3477 दिनांक 21.4.2011	100 पीस बैड शीट 25 रजाई वैट	31500 18750 2638	52,638
2	336	वोल्गा इलैक्ट्रीकलस चण्डीगढ़ बिल नं० 21801 दिनांक 23.4.2011	रूम हीटर 8 ऐमरजैसी लाईट 4 ऐवरेडी लाईट 1 2 वैक्यूम क्लीनर वैट	5160 4180 400 14204 2993	26937
3	337	मै० एच०आर०इन्फोटैक चण्डीगढ़ बिल सं० 13 दिनांक 22.4.2011	स्टार्टर 20 पीस चोक 20'' वैट	132 2280 301	2713
4	338	मै० एच०आर०इन्फोटैक चण्डीगढ़ बिल सं० 14	सी०एफ०एल० 20वाट 100 पीस वैट	12000 600	12600
5	340	असर ओवर सीज़ अम्बाला बिल सं० 240, दिनांक 20.5.2011	80 पीस गदी वैट	20800 1092	21892
6	342	अशोक हैंडलूम, पानीपत बिल सं० 1250 दिनांक 24.4.2011	30 नं० तौलिए 60 नं० सिहराने 3 तौलिए छूट	3600 9000 900 600	12900
7	344	अजय कोरपैट्स पानीपत बिल सं० 1052 दिनांक 20.4.2011	फुट मैट 4 बण्डल	14480	14480
8	345	जनक हैंडलूम, पानीपत बिल	चादर 20 जोडी @ 360	7200	23310

		सं० 32, दिनांक 20.4.2011	34 जोड़ी @ 185	6290	
			22 जोड़ी @ 310	6820	
			50 जोड़ी @ 60	3000	
9	346	आर्यन बलैक्कैट्स, पानीपत बिल सं० 1359, दिनांक 20.4. 2011	100 कम्बल @ 685	68500	94900
			30 कम्बल @ 880	26400	
10	353	शीट मैटल वर्क रोहडू बिल सं० 274 दिनांक 3.5.2011	स्टील ट्रंक 6" x 3" x 3"	11400	11400
11	348	मै० बनारसी दास एण्ड कं० पंचकूला बिल सं० 9932 दिनांक 25.4.2011	ग्लैज़ड टाईल 540 बॉक्स @ 250	135000	200957
			वाटर टैंक 6 नं०	25800	
			पी०बी०सी० पाईप 17	5100	
			अन्य वाटर फिटिंग सामान	12955	
			वैट	20062	

(ग) न्यास द्वारा पारित प्रस्ताव में संलग्न सूची के अनुसार सामान की खरीद करने की अनुमति प्रदान की गई थी परन्तु यह सूची अंकेक्षण से सत्यापित नहीं करवाई गई। अभिलेख की जांच में पाया गया कि समिति द्वारा लगभग ₹240273 का ऐसा सामान भी खरीदा गया है, जोकि पहले ही न्यास के पास स्टोर में उपयुक्त मात्रा में पड़ा था अथवा जिसकी जरूरत नहीं थी। अतः की गई इस खरीद को उचित ठहराया जाए अन्यथा अनावश्यक खरीद हेतु जिम्मेवारी निर्धारित कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। अनावश्यक क्रय का विवरण निम्नलिखित है।

- (i) वाऊचर संख्या: 335 व 345 के अन्तर्गत मै० हिमाचल रुई उद्योग व जनक हैण्डलूम पानीपत से कुल ₹76198 की 226 बैड शीट व 25 रजाईयों की खरीद की गई जबकि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 5 व 9 के अनुसार सराय के 22 कमरों में प्रयोग हेतु न्यास के पास 60 रजाईयां व 72 बैड शीट पड़ी थी।
- (ii) वाऊचर संख्या: 336 के अन्तर्गत मै० वोल्गा ईलैक्ट्रॉनिक्स से 2 वैक्यूम क्लीनर की ₹14,204 तथा 8 रुम हीटर की ₹5160 की खरीद की गई, जबकि न्यास के पास पहले ही स्टॉक में एक वैक्यूम क्लीनर पड़ा था जो कभी प्रयोग में नहीं लाया गया। वास्तव में वैक्यूम क्लीनर के प्रयोग हेतु न्यास के पास कोई स्थान ही नहीं है जबकि 2 और खरीद लिए गए।
- (iii) वाऊचर संख्या: 337 व 338 के अन्तर्गत कुल ₹15012 का भुगतान करके मै० एच०आर० इन्फोटेक से 100 नम्बर सी०एफ०एल० तथा 40 वॉट के 20-20 पीस स्टार्टर व चाक की खरीद की गई, जिसकी स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 73 पर ली गई है जिन्हें 5 वर्ष के पश्चात आज तक भी प्रयोग में नहीं लाया गया है।

- (iv) वाऊचर संख्या: 340 व 342 के अन्तर्गत मै0 एस0आर ओवरसीज़ तथा मै0 अशोक हैण्डलूम को कुल ₹34,799 का भुगतान करके 80 पीस गद्दी व 60 सिहरानों की खरीद की गई, जबकि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 6 व 10 के अनुसार स्टॉक में 78 पीस गद्दी व 91 सिहराने पहले ही पड़े थे।
- (v) वाऊचर संख्या: 346 के अन्तर्गत ₹94,900 का भुगतान करके मै0 आयरन बलैन्कट से 100 सिंगल बैड के तथा 30 डबल बैड के कम्बल की खरीद की गई, जबकि स्टॉक में पहले ही 381 कम्बल पड़े थे।
- (vi) वाऊचर संख्या: 347 के अन्तर्गत मै0 महताब सिंह सुन्दर लाल, जगाधरी से रसोई हेतु खरीदे गए बर्तन, कुकर इत्यादि के बिल के अनुसार कुल ₹1,09,716 का भुगतान किया गया। इस खरीदे गए सामान की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं ली गई जिसका कारण स्पष्ट किए जाएं तथा किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारते हुए व सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर तथा स्टॉक प्रविष्टि करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए।

39 कौडल औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना बगीचे के रख-रखाव पर लाखों रुपये व्यय किया जाना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा बगीचे में प्रयोग हेतु लाखों रुपये की खाद व अन्य सामान की खरीद की गई है, परन्तु क्रय से पूर्व न तो मांग का अनुमान लगाया गया तथा न इस सन्दर्भ में खरीद से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा इस खरीद हेतु न तो निविदाएं ली गई हैं और न ही प्रयोग सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार किए गए हैं। ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता अनावश्यक खरीद, अधिक दरों पर खरीद करना तथा खरीदे गए सामान के दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः कौडल औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना सामान की खरीद करके भुगतान के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा किसी प्रकार की अनियमितता को नकारते हुए की गई खरीद व किए भुगतान को उचित ठहराया जाए तथा यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक मांग का अनुमान लगा कर ही तथा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके ही निविदाएं आमन्त्रित करके खरीद करनी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त खरीदे गए सामान की प्रत्येक स्टॉक प्रविष्टि करके तथा सामान को प्रयोग में लाने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके सम्पूर्ण भुगतान को उचित ठहराया जाए। कौडल औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना की गई क्रय व भुगतान के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।

क्र0 सं0	वाऊचर सं0	आपूर्तिकर्ता व बिल का विवरण	सामान का विवरण व राशि	टिप्पणी
----------	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------

1	326, दिनांक 30.1.11	शगुन नर्सरी, बिल सं0 59, दिनांक 25.1.2011	Apple Root Stock 2500 No. दर ₹30 प्रति एक ₹75000	
2	344, माह 2/11	हिमालय वर्मी कम्पोस्ट खाद, ग्राम छाजपुर बिल सं0 शून्य दिनांक 28.1.2011	300 बैग खाद दर ₹300 प्रति एक = ₹90,000	
3	345, माह 2/11	हिमालय वर्मी खाद, शून्य, दिनांक शून्य	200 बैग खाद दर ₹300 प्रति एक = ₹60,000	
4	7, माह 4/12	श्री मोहन सिंह, ग्राम नकराड़ी, तह0 जुबल	2050 गड्डे दर ₹60 प्रति गड्डा की दर पर ₹1,23,000	न तो गड्डों का साईज दिया गया, न विभागीय न्यायों चितता बनाई गई और न ही कोई अन्य कौडल औपचारिकता पूर्ण की गई।
5	9 व 10 माह 4/12	मस्ट्रौल दिनांक 1.2.2012 से 29.2.2012 राशि ₹41760, 1.3.12 से 19.3.12 राशि ₹26520	अवधि में 12 मजदूरों द्वारा गड्डा भरण व खाद मिलाने का कार्य	न तो मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विवरण दिया गया और न ही भुगतान को किए गए कार्य अनुसार उचित ठहराया गया

40 बगीचे में तौलिये बनाने के कार्य करने पर ₹16,620 का अधिक भुगतान करना

वाऊचर संख्या: 8, माह 4/2012 के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह को बगीचे में तौलिये बनाने का कार्य करने पर कुल ₹72,364 का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

80 बड़े पेड़ दर ₹32 प्रति पेड़	= 2560
1662 छोटे पेड़ दर ₹42 प्रति पेड़	= 69804
	72364

नियमानुसार बड़े पेड़ पर तौलिया भी बड़ा बनाया जाता है तथा छोटे पेड़ के नीचे छोटा तौलिया बनाया जाता है, क्योंकि तौलिए का आकार पेड़ के आकार पर निर्भर करता है, परन्तु उक्त वर्णित भुगतान में यह विपरीत कर दिया गया जो कादापि उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः छोटे पेड़ के तौलिए के लिए बड़े पेड़ की दर की अपेक्षा ₹10 प्रति तौलिये की दर से कुल ₹16,620 का अधिक भुगतान किया गया जिसे उचित भुगतान ठहराया जाए अन्यथा इस राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त इस भुगतान से पूर्व कोई विभागीय न्यायोचितता नहीं बनाई गई, जिसका कारण स्पष्ट किए जाए व विभागीय न्यायोचितता बना कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

41 न्यास की अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा धार्मिक व सामाजिक दायित्व की पूर्ति हेतु गौसदन की स्थापना करने के बारे में।

न्यास द्वारा वर्ष 2010 से अपने सेब के बगीचे को विकसित करना शुरू किया गया, जिससे पुराने वृक्षों की देखभाल के साथ-साथ लगभग 5000 नये वृक्ष भी लगाए गए हैं तथा इस कार्य हेतु अन्य व्यय के साथ-साथ न्यास द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रुपये की कैन्चुआ खाद व गोबर खाद की खरीद की गई, परिणामस्वरूप जहां नया बगीचा विकसित होना शुरू हो गया, वहीं पुराने वृक्षों से भी आय प्राप्त होनी शुरू हो गई। अंकेक्षण अवधि में बगीचे से प्राप्त आय तथा गोबर खाद व कैन्चुआ खाद पर किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष	प्राप्त आय	गोबर खाद पर किया गया व्यय
2010-11	49,127	1,72,847
2011-12	1,30,010	67,900
2012-13	2,01,500	2,67,200
2013-14	5,34,892	75,624
2014-15	3,63,900	2,46,700
2015-16	3,28,920	2,27,825

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट है कि न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये कैन्चुआ/गोबर की खाद खरीदने पर व्यय किए जा रहे हैं। इस विषय में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 169 दिनांक 8.12.2015 द्वारा उठाया गया था कि आगामी वर्षों में बगीचे से न्यास को कितनी आय प्राप्त होने की सम्भावना है तथा गोबर खाद पर प्रत्येक वर्ष कितना व्यय होने की सम्भावना है, क्या न्यास द्वारा अपना गौसदन चलाने का कोई विचार है जिस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान बताया गया कि आगामी लगभग 3-4 वर्षों में नए वृक्षों से भी आय प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी तथा प्रत्येक वर्ष 50-60 लाख रुपये की आय प्राप्त होगी तथा प्रत्येक वर्ष न्यास को 3-4 लाख रुपये की गोबर खाद भी खरीदनी पड़ेगी तथा यह भी सूचित किया गया क्योंकि न्यास के पास स्थान की कमी है, अतः गौसदन बनाने में समय लग रहा है परन्तु न्यास शीघ्र ही बगीचे में एक गौशाला बनाने जा रहा है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यास को प्रत्येक वर्ष अपनी जरूरत के कारण लाखों रुपये की गोबर खाद खरीदनी पड़ेगी तथा न्यास द्वारा बगीचे की घास भी बेचनी पड़ती है। अतः यदि न्यास अपना गौसदन स्थापित करता है तो जहां अपनी जरूरत भी पूरी होगी वहीं दूसरी ओर बगीचे की घास भी अपने प्रयोग में लाई जा सकेगी तथा कैन्चुआ खाद संयन्त्र स्थापित करके पर्यावरण की सुरक्षा व कुड़े का भी निष्पादन हो सकेगा और जरूरत के अतिरिक्त खाद बेचने से, तथा अन्य अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद बेचने से न्यास को आय भी प्राप्त होगी और लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ न्यास द्वारा धार्मिक व

सामाजिक दायित्व भी पूर्ण होंगे। अतः उक्त पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यास द्वारा गौसदन को चलाए जाने पर विचार किया जाए।

42 अन्य

(क) वाऊचर संख्या: 292 व 293 माह जनवरी, 2011 के अन्तर्गत न्यास द्वारा ₹1145 व ₹2650 का भुगतान हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाय कार्पोरेशन को एक नया गैस कनेक्शन दो सिलैण्डर सहित लेने पर किया गया। जांच में पाया गया कि खरीदे गए उक्त सामान की स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है और न ही इसके बिल वाऊचर का अलग से कहीं इन्द्राज किया गया है। अतः स्टॉक प्रविष्टि न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अविलम्ब स्टॉक प्रविष्टि करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) वाऊचर संख्या: 16 माह 4/2012 के अन्तर्गत में 0 अरोड़ा एजैन्सी से बिल संख्या 5090 दिनांक 26.3.2012 के अन्तर्गत 1 क्विंटल शक्कर ₹4000 की तथा 1 क्विंटल आटा की ₹1240 अर्थात् ₹5240 की खरीद की गई, परन्तु भुगतान ₹6240 किया गया। अतः अधिक किए गए भुगतान ₹1000 की उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा अपने दैनिक कार्य कलाप व लेखों के उचित रख-रखाव हेतु अत्यन्त आवश्यक अभिलेख तैयार नहीं किए गए हैं जिसका विवरण निम्नलिखित है (1) सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों के सन्दर्भ में “निवेश रजिस्टर” (2) विभिन्न कर्मचारियों व अन्य व्यक्तियों को अथवा कार्यों हेतु प्रदान किए गए अग्रधन के सन्दर्भ में “अग्रधन रजिस्टर” (3) दुकानों के किराए के सन्दर्भ में मांग व वसूली रजिस्टर (4) खपत होने वाली व स्थाई वस्तु भण्डार रजिस्टर (5) चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर। अतः अत्यन्त आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब अभिलेख तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा स्टॉक में पड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जबकि प्रत्येक वर्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किए जाए तथा यह भी परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर तथा भविष्य में भी प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

43 लघु आपत्ति विवरणिका यह अलग से जारी नहीं की गई है।

44 निष्कर्ष लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि लेखों के रख-रखाव की स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है जिसका मूल कारण पुराने पैरों पर कोई कार्रवाई न किया जाना तथा समय-समय पर अंकेक्षण द्वारा दिए गए सुझावों पर कोई कार्यवाही न करना। अतः पुराने पैरों के निपटारे हेतु भी वांछित कार्रवाई अमल में लाकर तथा दिए गए सुझावों पर कार्यवाही अमल में लाकर, लेखों के रख-रखाव में सुधार लाने हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाए जाएं।

हस्ता / -
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

पृष्ठांकन संख्या :- फिन(एल0ए0)सी(15)(14)190 / 96-खण्ड-3-4173-4176 दिनांक:22.07.2016

शिमला-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है:-

- पंजीकृत :- 1. मन्दिर अधिकारी श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. उपायुक्त शिमला एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)
3. निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171009
4. विशेष सचिव (एल0ए0सी0), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002

हस्ता / -
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

परिशिष्ट—“क”
अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1 में वर्णित
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न बकाया पैरों की अनुपालना के सत्यापनोपरान्त शेष बकाया पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बकाया पैरों के निष्पादन हेतु शीघ्र आपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/1984 से 3/1995

क्र० सं०	पैरा सं०	स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
2.	पैरा 8(ज)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 8(ट)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 8(त)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 8(थ)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 8(प)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 9(घ)(1) से (7)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 9(ङ)	अनिर्णीत	
12.	पैरा 9(च)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 9(ज)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 9(त्र)	अनिर्णीत	
15.	पैरा 9(ड)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 9(ढ)1 से 4	अनिर्णीत	
17.	पैरा 12(घ)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 12/2003

1.	पैरा 7	अनिर्णीत
2.	पैरा 8	निर्णीत (₹1604 रसीद संख्या 23, दिनांक 1.3.2006 द्वारा न्यास कोष में जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
3.	पैरा 10	अनिर्णीत
4.	पैरा 14	अनिर्णीत
5.	पैरा 17	निर्णीत (पैरा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत किया गया है। पुनः जांच की गई यह एक Compensating Error था अतः पैरे का निपटारा किया गया)
6.	पैरा 19	अनिर्णीत
7.	पैरा 24	अनिर्णीत
8.	पैरा 26	अनिर्णीत
9.	पैरा 30	अनिर्णीत
10.	पैरा 35	अनिर्णीत
11.	पैरा 36	अनिर्णीत
12.	पैरा 37(क)	अनिर्णीत
13.	पैरा 38	अनिर्णीत
14.	पैरा 41	अनिर्णीत
15.	पैरा 42	अनिर्णीत
16.	पैरा 43(ख)	अनिर्णीत
17.	पैरा 43(घ)	अनिर्णीत
18.	पैरा 46	अनिर्णीत
19.	पैरा 47	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2004 से 12/2005

1.	पैरा 17	अनिर्णीत
2.	पैरा 20	निर्णीत (न्यास की दिनांक 18.11.2004 को सम्पन्न हुई बैठक में मद संख्या 2 में लिए निर्णय अनुसार)

- | | | |
|----|---------|---|
| 3. | पैरा 23 | निर्णीत (दिए गए उत्तर अनुसार) |
| 4. | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 5. | पैरा 28 | निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया) |

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2006 से 31.12.2009

- | | | |
|-----|------------|--|
| 1. | पैरा 3 | निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क दिनांक 15.3.2011 को भेज दिया गया है) |
| 2. | पैरा 4(क) | निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया) |
| 3. | पैरा 4(ख) | निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया) |
| 4. | पैरा 5 | निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया) |
| 5. | पैरा 6 | निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया) |
| 6. | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 7. | पैरा 8(क) | निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया) |
| 8. | पैरा 8(ख) | निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया) |
| 9. | पैरा 9 | निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया) |
| 10. | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 11. | पैरा 11 | निर्णीत (₹1110 रसीद संख्या 451, दिनांक 31.10.2011 द्वारा न्यास कोष में जमा करवाने उपरान्त) |
| 12. | पैरा 12 | निर्णीत (दिए गए उत्तर अनुसार) |
| 13. | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 14. | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 15. | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 16. | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 17. | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 18. | पैरा 18(क) | अनिर्णीत |
| 19. | पैरा 18(ख) | अनिर्णीत |
| 20. | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 21. | पैरा 20 | अनिर्णीत |

22.	पैरा 21	निर्णीत (बैंक खाता चालू हालत में है)
23.	पैरा 22	अनिर्णीत
24.	पैरा 23	अनिर्णीत
25.	पैरा 24	निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
26.	पैरा 25	निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
27.	पैरा 26	निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)